राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
NIRDPR

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

www.nirdpr.org.in

संख्या: 304

प्रगति

समाचार पत्र

सितंबर 2020

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका

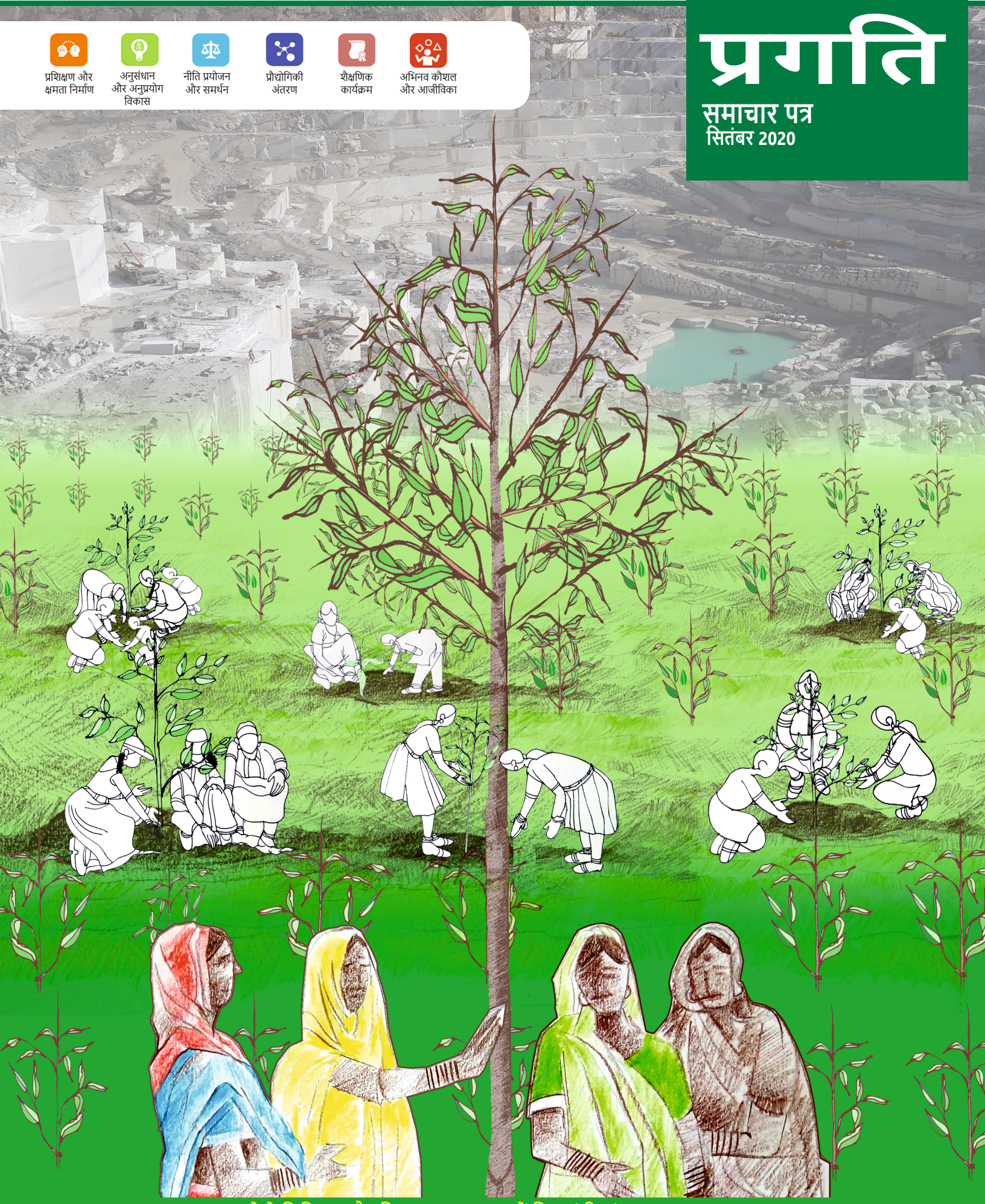

इको फेमिनिज्म और विकास: राजस्थान में पिपलांत्री गांव का एक उदाहरण

3 इको फेमिनिज्म और विकास: राजस्थान में पिपलांत्री गांव का एक उदाहरण

विषय-सूची

6
सकल घरेलू उत्पाद के लिए एक समानांतर उपाय के रूप में सकल घरेलू कल्याण (जीडीडब्ल्यु)

8
देश भर में मॉडल जीपी क्लस्टर के निर्माण के लिए परियोजना पर ऑनलाइन अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम

10
लोक योजना के तहत जीपीडीपी के प्रभावी निरूपण के लिए दमन एवं दीव के पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला

11
पशुधन क्षेत्र में उद्यमिता विकास पर राष्ट्रीय टीओटी

12
तेलंगाना में पोषण अभियान के तहत जन आन्दोलन के माध्यम से पोषण परिणामों में सुधार के लिए पीआरआई के कार्य पर टीओटी

13
एनआईआरडीपीआर में हिंदी पखवाड़ा समारोह

14
सांसद आदर्श ग्राम योजना- II (2019- 24) के प्रभारी अधिकारियों के लिए दो क्रम में सीएचआरडी द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम

16
COVID-19 संकट के प्रबंधन के लिए पंचायतों के माध्यम से एसडीजी के संस्थागतकरण पर ऑनलाइन टीओटी कार्यक्रम

19
रुर्बन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर

21
एसएयू छत्तीसगढ़ के स्रोत व्यक्तियों के लिए पीएमएवाई-जी और एनएसएपी की सामाजिक लेखापरीक्षा पर ऑनलाइन प्रशिक्षण

इको-फेमिनिज्म और विकास: राजस्थान में पिपलांत्री गांव का एक उदाहरण

भूमंडलीय स्वास्थ्य एक उभरता हुआ क्षेत्र है जो मनुष्य को हमारे पर्यावरण में व्यवधान का कारण बताता है और इसका मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। भूमंडलीय स्वास्थ्य का मूल आधार यह है कि यह स्वास्थ्य और जलवायु के बीच संबंधों का वर्णन करता है। सीमंतीकृत और आदिवासियों में असमानताओं की विशेषता है जो उनकी आजीविका और उनके स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर सीधा प्रभाव डालती है। भूमंडलीय स्वास्थ्य आंदोलन इको-फेमिनिज्म परिप्रेक्ष्य को शामिल करते हुए दुनिया के एक समग्र दृष्टिकोण की अवधारणा करती है। यह एक स्पष्ट रणनीति के साथ आगे बढ़ने के लिए व्यक्तियों, समूहों और समुदायों के जैव-मनोवैज्ञानिक-सामाजिक और आध्यात्मिक पहलुओं के समाधान का स्पष्ट आह्वान है।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमारा स्वास्थ्य हमारे भूमंडलीय स्वास्थ्य और कल्याण के साथ जटिल रूप से संबद्ध है। महामारी से निपटने के लिए व्यवहार्य स्वास्थ्य प्रणालियों की योजना का यही सही मौका है। कुछ समय से यह देखा गया है कि जैसे पर्यावरण है वैसे बीमारियों का स्वरुप बदल रहा है और मानव स्वास्थ्य को जैव विविधता के नुकसान, घटती जल आपूर्ति, पर्यावरण में मौजूद विषाक्त पदार्थों और भोजन पद्धति में गिरावट से खतरा है। मानव और पेड़-पौधों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर संज्ञान लेना और उसका समाधान करना एक उभरती हुई आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, प्रदूषित हवा में सांस लेने वाली 91 प्रतिशत जनता, सुरक्षित पेयजल पाने में त्रस्त 2.1 बिलियन लोग और कुपोषण से त्रस्त 2 बिलियन लोगों के साथ साथ स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले पर्यावरण को बनाये रखने में दुनिया को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नवीनतम शोधों के अनुसार, संयुक्त रूप से एचआईवी, मलेरिया और टीबी की तुलना में वायु प्रदूषण के कारण वैश्विक स्तर पर मृत्यु दर अधिक है। चुनौतियों के बीच गहन परस्पर संबद्धता को समझाने और स्वीकार करने का यही सही मौका है और हमें इस बात को स्वीकार करना है कि हमारी सोच और काम करने के तरीके को बदलने की जरुरत है।

बालिका शिशुओं को बचाने के साथ साथ पेड़-पौधों को बढाने में पिपलांत्री की सफलता अन्य गांवों द्वारा अनुकरण करने के लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण है।

डब्ल्युएचओ (2014) के अनुसार, न्यूनतम संसाधन वाली स्थापनाओं में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को स्वास्थ्य चुनौतियों और पारिस्थितिक संकट के लिए सबसे कमजोर माना जाता है। संरचनात्मक संतुलन में बाधा डाले बिना, उसी का समाधान करने के लिए वैचारिक और व्यावहारिक कार्यविधि की आवश्यकता है। इको-फेमिनिज्म विद्वानों ने महिलाओं के प्रति असमान व्यवहार और ग्रहों के स्वास्थ्य के स्वरुप के बारे में कई वर्षों से न्याय पर सवाल उठाये है । दुनिया भर के शोधकर्ता अब संसाधनशीलता का उपयोग कर रहे हैं और समाजशास्त्रीय, आर्थिक और पर्यावरणीय ताकतों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो भविष्य में संसाधन-दबाव की स्थितियों में स्वास्थ्य समाधान को सक्षम कर सकते हैं।

इको-फेमिनिज्म एक राजनीतिक और दार्शनिक सिद्धांत तथा गतिविधि है जो महिलाओं के उत्पीड़न को प्रकृति के उत्पीड़न से जोड़ती है। फेमिनिस्ट दार्शनिकों ने अक्सर फेमिनिस्ट दृष्टिकोण के द्वारा प्रकृति के आधिपत्य से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर होनेवाले हानिकारक प्रभावों पर जोर दिया है। उनका तर्क है कि जेंडर, पारिस्थितिकी और स्वास्थ्य अनिवार्य रूप से परस्पर जुड़े हुए हैं। राजस्थान राज्य का छोटा सा गाँव पिपलांत्री अपने इको-फेमिनिज्म के लिए जाना जाता है। 2007 से, इसके निवासी प्रत्येक बालिका शिशु के जन्म का जश्न 111 पेड़ लगाकर मना रहे हैं।

गाँव में वर्ष भर पानी की उपलब्धता को जलागम संरक्षण सुनिश्चित करता है

पिपलांत्री

राजस्थान का एक मॉडल गांव पिपलांत्री रेगिस्तान में उपजाऊ स्थान के रूप में उभरा है। कई अवरोधों को पार करते हुए, समुदाय के लोगों ने विकास योजना पर लंबे समय तक प्रयास किया है। व्यवस्था और संबंधों के सभी स्तरों में अन्याय और असमानता की जटिलता ने उन्हें समाधान करने पर मजबूर कर दिया है जो गरिमा, सुरक्षा और समानता एवं न्याय को बढ़ावा देता है। समुदाय और स्थानीय नेतृत्व ने पेड़ लगाकर समुदाय के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। मानव स्वास्थ्य और भूमंडलीय स्वास्थ्य इस छोटे से गाँव में अटूट रूप से जुड़ा हुआ है जिसने कई आयामों में उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। समुदाय के लोग यह समझते थे कि अगर पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की जानी है, तो समृद्ध प्राकृतिक प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने महसूस किया कि स्वस्थ वातावरण और स्वच्छ हवा अत्यधिक जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों के जोखिम को कम करेगी।

पिपलांत्री एक भागीदारी मॉडल पर काम करता है। जल संरक्षण का स्वदेशी तरीका , वन्यजीवों की सुरक्षा को सक्षम बनाना और बालिकाओं के जन्म का जश्न मनाने का काम समुदाय संसाधनों के माध्यम से किया गया है।

मुख्य खनन कार्य

राजसमंद जिले की अर्ध-शुष्क पहाड़ियों में, प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध, पिपलांत्री, संगमरमर निकालने के लिए प्रमुख खनन स्थलों में से एक है। ग्रामीण शांति अक्सर डायनामाइट के प्रयोग से बाधित होती है। खनन से निकले संगमरमर का ढेर लग जाता है और बारीक सफेद पाउडर से वायु प्रदुषण होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

लगभग 75 प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खनन गतिविधियों में शामिल हैं। बाकी लोग कृषि, संबद्ध-कृषि से जुड़े कार्य, छोटे-छोटे व्यवसाय और उद्यम एवं दैनिक श्रम / मजदूरी गतिविधियों पर निर्भर करते हैं ताकि दो वक्त की रोटी जुटा सकें। ग्रामीणों के लिए संगमरमर का खनन आजीविका का प्रमुख स्रोत है। व्यापक खनन से पूरे क्षेत्र में सफेद धूल फैल जाती है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। पारिस्थितिक तंत्र के विनाश का पता सफेद संगमरमर से ढकी पहाड़ियों से चलता है जो पिपलांत्री में आगंतुकों को नजर आता है। पिछले कुछ दशकों में, विकास के नाम पर, वनों की कटाई ने इस जगह को प्रभावित किया है।

इको-फेमिनिज्म दृष्टिकोण

गाँव में बेटी के जन्म को मनाने की एक अनोखी परंपरा है। बेटी के जन्म के समय, लड़की के माता-पिता से रु.10,000 और दानदाताओं से रु. 1,3,000 की राशि एकत्र की जाती है और उसे फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) खाते में डाल दिया जाता है। जननी सुरक्षा योजना और अन्य लाभकारी सरकारी योजनाओं के लिए सभी आधिकारिक औपचारिकताओं को पूरा किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि लड़की को यह पैसे तब मिले जब वह बीस वर्ष की हो जाती है। उसके माता-पिता पर भी दबाव है ताकि वे उसकी शादी कम उम्र में न करे और वह अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी करे। उसके माता-पिता जिन्होंने 111 पेड़ लगाए उन पेड़ों की देखरेख का कार्य भी उन्हीं को सौंपा जाएगा। इस रिवाज के तहत, एक नियत दिन पर, प्रत्येक वर्षा-ऋतु में, नई माताएं एक बड़ी ढलिया में लाल कपड़ा फैलाती हैं और लड़कियों को उसमें रखती हैं। फिर वे उन्हें नर्सरी में उस स्थान पर ले जाती हैं जहाँ नवजात शिशु के नाम पर नए पौधे लगाए जाते हैं। 8000 निवासियों का समुदाय यह सुनिश्चित करने के लिए भी समर्पित है कि पेड़ बड़े हो जाएं और लड़कियों के बड़े होने पर फल देने लगें।

पूर्व सरपंच, श्री श्याम सुंदर पालीवाल ने अपनी बेटी की मृत्यु के बाद 2007 में यह कार्यक्रम शुरू किया। कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान 3,00,000 से अधिक पेड़ लगाए गए थे। स्वयं सहायता समूह, बुजुर्ग महिला, दादी और चाची-मौसी पौधों का ध्यान रखती हैं। यह बहुमूल्य कार्य किरण निधि योजना के तहत किया जा रहा है। वर्षों की अवधि में, लोगों ने नीम, शीशम, आम, आंवला, कदंब और एलोवेरा सहित गांव की सार्वजनिक भूमि पर 3,00,000 से अधिक पेड़ लगाने में कामयाबी हासिल की है। राखी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है जिसमें पवित्र धागा पेड़ के चारों ओर बांधा जाता है। एक एंथ्रोपोमोर्फिक दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया जाता है जिसमें पेड़ों को जीवित माना जाता है और देखभाल एवं संरक्षण

किया जाता है। गाँव में तीन पौध-नर्सरी हैं और 1,020 हेक्टेयर में पानी की व्यवस्था है। इस पहल ने पिपलांत्री को उपजाऊ स्थान में बदल दिया है।

परिवर्तन की गति

एक समय में इस गांव में कई समस्याएं थीं, जिसमें पास की संगमरमर खदानों से औद्योगिक प्रदूषण, पानी की अत्यधिक कमी, बिजली की कमी, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, अशिक्षा, अपराध आदि शामिल थे। पूर्व सरपंच ने प्रतिगामी सामाजिक दृष्टिकोण के साथ-साथ एक राज्य की पारिस्थितिकी में क्रांति ला दी और अपने सम्मिलित प्रयासों से जबरदस्त परिवर्तन लाए। ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी से परिवर्तन हुआ। ग्राम पंचायत ने गाँव के सभी सीमांतीकृत लोगों तक पहुँच कर उनके विचारों की मांग करते हुए "पंचायत आपके द्वार तक" नाम से दिन और रात का कार्यक्रम शुरू किया। जल संरक्षण के लिए जागरूकता सृजित करने और ठोस कदम उठाने के लिए स्वजलधारा योजना शुरू की गई। एक समय में, पानी की कमी ऐसी स्थिति में पहुंच गई थी, जिसमें ट्रेनों का इस्तेमाल पानी लाने के लिए किया गया था। अब, जल क्षेत्रों में पूरे वर्ष के दौरान पानी भरा हुआ है। पिपलांत्री का भूजल स्तर पिछले पांच वर्षों में 60 फीट से 5-15 फीट तक बढ़ गया है। शराब, पेड़ों की कटाई और खुले में शौच पर पूर्ण प्रतिबंध से अच्छे परिणाम मिले हैं। जलग्रहण समिति के मार्गदर्शन में डंपिंग यार्ड को हरियाली से भरी पहाड़ियों में परिवर्तित किया जा रहा है। संगमरमर की खदानों से मलबे द्वारा डंपिंग यार्ड को मजबूत करने का यह अनोखा काम है। मनरेगा के तहत, इन सफेद परत वाली पहाड़ियों को अब हरे चरागाहों में परिवर्तित किया जा रहा है।

गाँव में हरित परिसर को विकसित करने और भूमि पर अवैध कब्जे को रोकने के लिए, फूलों और फलों के पौधों को बड़े पैमाने पर उगाया जा रहा है। गाँव में किए गए वृक्षारोपण में एलोवेरा, आंवला, अमरूद, अनार, चीकू, आम, करौंदा, बेर आदि शामिल हैं। एलोवेरा के पौधे ग्रामीणों की आजीविका का एक बड़ा स्रोत बन गए हैं। इसे विभिन्न तरीकों से संसाधित और विपणन किया जाता है। अब, वे जूस, जैल और अचार जैसे एलो आधारित उत्पादों का भी उत्पादन करते हैं। जलक्षेत्र विकास योजना और मनरेगा से वित्तीय सहायता प्राप्त करके सभी चारागाह क्षेत्रों को यथासंभव शामिल किया गया है।

वन्यजीवों के लिए पहाड़ी पर पानी की व्यवस्था

एक नई पहल "स्मृति वन" है जिसमें मृतकों की याद में 11 पेड़ लगाए जाते हैं। परिवार के सदस्यों द्वारा रखरखाव किया जाता है और अब तक लगभग 1100 पौधे लगाए गए हैं। कृषि योग्य ढलान वाली भूमि पर जल निकासी उपचार कार्य ने खेतों में नमी ला दी है। कुछ किसानों द्वारा चावल की खेती भी की जा रही है।

निष्कर्ष:

"बेटी, पानी, गोचर भूमि का संरक्षण" संदेश वाक्य के अनुसार चलते हुए और "पर्यावरण की पाठशाला" पर जोर देते हुए नई पहल ने खुद के लिए एक जगह बना ली है। पिपलांत्री मॉडल मुख्य रूप से गाँव में लड़कियों की बेहतर परवरिश, गाँव में पानी की बहाली और वनीकरण कार्य पर केंद्रित है जो दशकों से चल रही खनन गतिविधि के कारण लुप्त हो गई थी। गांव में व्यवस्थित दृष्टिकोण और प्रतिबद्ध समुदाय के सदस्यों के कारण परिवर्तन हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप 2007 में "निर्मल ग्राम पुरस्कार" मिला और पूर्व सरपंच को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे आत्म-प्रेरणा और सकारात्मक सोच से ही इस टिकाऊ परिवर्तन की बात स्वीकारते हैं। विकास के उपदेश और व्यवहार में, स्थानीय जंगलों और जनसाधारण के प्रभावी प्रबंधन के लिए ग्राम समुदायों की सक्रिय भागीदारी को व्यापक रूप से मान्यता दी गई है। समुदाय यह सुनिश्चित करता है कि ये पेड़ लड़कियों की तरह जीवित रहें और बढ़ें।

डॉ. सोनल मोबार रॉय
सहायक प्रोफेसर, सीपीजीएस एवं डीई,
एनआईआरडीपीआर
कवर पेज डिजाइन: **वी. जी. भट्ट**

सकल घरेलू उत्पाद के लिए एक समानांतर उपाय के रूप में सकल घरेलू कल्याण (जीडीडब्ल्यु)

मेदक जिला, तेलंगाना में मलकापुर मॉडल गाँव का प्रवेश द्वार

तेलंगाना के मेदक जिले के मलकापुर गाँव के दौरे ने प्रगतिशील गांव की याद दिलाई और उत्पादन / आय को बढ़ाने के लिए एक बेहतर और वैकल्पिक उपाय के रूप में हित के महत्व को महसूस कराया। आपस में सहयोग करके और विभिन्न सरकारी विभागों के समन्वय से गांव काम कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप गाँव में अधिक से अधिक बुनियादी सुविधाएं हैं, एक समुदाय के रूप में प्रगति हो रही है और इसे राज्य में सर्वश्रेष्ठ माना गया।

गाँव ने तेलंगाना सरकार की ग्राम ज्योति योजना (जीजेएस) का उपयोग किया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का व्यापक विकास और मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में सुधार करना है। गाँव में शराब पर प्रतिबंध है और अब सभी घरों में साल भर नल से पानी की आपूर्ति होती है। उचित जल निकासी सुविधाओं और स्वच्छता के साथ सफाई को बनाए रखा गया है और गांव खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) हो गया है। सोख गड्ढों के परिणामस्वरूप भूजल स्तर बढ़ गया है। गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट हैं। सड़क के किनारे सुंदर तरीके से पेड़ लगाए गए हैं, और मेहमानों के स्वागत में, गाँव के प्रवेश द्वार पर एक बगीचा लगाया गया है। संक्षेप में, गाँव पड़ोसी गाँवों के लिए प्रेरणा स्थान बन गया है। जिला कलेक्टर डी. रोनाल्ड रोज़ मलकापुर गाँव के सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरणा हैं।

बेहतर बुनियादी ढाँचे के मामले में ग्रामीणों के सहयोग का न केवल गांव पर व्यापक प्रभाव पड़ा, बल्कि व्यक्तिगत समृद्धि भी हुई। ग्रामीणों को कृषि और अन्य गैर-कृषि आजीविका के लिए स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड से पर्याप्त औपचारिक वित्त प्राप्त हुआ। गाँव में बहुत कम समय में हुई प्रगति से प्रभावित होकर, राज्य सरकार ने गाँव के प्रत्येक परिवार को उनकी पसंद के दुधारू पशु उपलब्ध कराए।

समग्र रूप से गाँव में इस तरह की प्रगति के बावजूद, गांव में एक क्षेत्र अध्ययन के भाग के रूप में गांव के युवकों के साथ बातचीत से उनके भारी असंतोष और नाराजगी का पता चला कि वे प्रति माह लाखों रुपये नहीं कमा रहे हैं और अपने खेतों तक कार चलाने में सक्षम नहीं हैं और न अपनी कार में परिवार के साथ घूमने जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इसे एक उपलब्धि के रूप में मानता है जब वह अपने साथियों से अधिक कमाता है।

यह एक समस्या क्यों है? ऐसी समस्याओं का समाधान क्या है? ऐसी समस्या का मूल कारण क्या है? यह कमजोरों की संपन्न दासता के कारण है। आधुनिक युग में ताकत को धन और आय से इंगित किया जाता है। अधिक से अधिक कमाने और संचय करना ही अत्यधिक लालच , शोषण, असमानता और कई लोगों को बुनियादी जरूरतों से वंचित रखने का प्रमुख कारण है। सकल घरेलू उत्पाद के लिए एक समानांतर उपाय के रूप में सकल घरेलू कल्याण (जीडीडब्ल्यु) एक दिखावा है और हमें इसके प्रभाव की गहन जांच करने की आवश्यकता है।

आर्थिक प्रदर्शन और सामाजिक प्रगति के प्रमाण पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने यह कहा कि "हम जो अनुमान लगाते हैं, हम क्या करते हैं इसे प्रभावित करता है: यदि हम गलत काम का अनुमान लगाते हैं, तो हम गलत काम करेंगे," गार्डियन में प्रकाशित अपने लेख में जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ लिखते हैं 'जीडीपी कल्याण का उत्तम उपाय नहीं है यह अत्यधिक भौतिकवादी है'।उनके अनुसार 'यदि हम केवल भौतिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम विकृत हो जाते हैं और अधिक भौतिकवादी हो जाते हैं। जीडीपी कल्याण का उत्तम उपाय नहीं है - यह अत्यधिक भौतिकवादी है। सकल घरेलू कल्याण (जीडीडब्ल्यु) को अंततः जीडीपी के समानांतर उपाय के रूप में प्रस्तुत करना समय की आवश्यकता है ।

सामजिक प्रदर्शन पर ध्यान दिए बिना त्रुटिपूर्ण और अपर्याप्त मेट्रिक्स द्वारा माइक्रो नीतियों को निर्देशित करते हुए, सकल घरेलू उत्पाद और वित्तीय दूरदर्शिता में असुरक्षा पर बारीकी से ध्यान केंद्रित किया। त्रुटिपूर्ण नीतियाँ, जीडीपी की प्राप्ति पर ध्यान केन्द्रित करना, लचीलेपन को बढ़ाने के नाम पर श्रम बाजार में बदलाव लाना और यह

श्रमिकों की सौदेबाजी की स्थिति को कमजोर करता है जिससे असुरक्षा और कम मजदूरी की आय होती है। इस पर मजाक करते हुए प्रसिद्ध श्रम अर्थशास्त्री ने उनकी "द प्रिकैरिएट: द न्यू डेंजरस क्लास" शीर्षक किताब में इस नए वर्ग के लोगों के उदय और इनकी तीव्र वृद्धि के बारे में बात की है। वे बिना किसी कार्य-आधारित पहचान के उन्हें एक वर्ग के रूप में वर्णित करते हैं, असुरक्षा के जीवन का सामना कर रहे उनके जीवन को बहुत कम महत्त्व देते हैं। जब नियोजित किये जाते हैं, तो वे बिना किसी सामाजिक स्मृति, व्यावसायिक पहचान, नैतिकता के आचार और व्यवहार के मानदंड और भाईचारे के होते हैं। प्रिकैरिएट अलगाव की भावना को बढ़ाने वाले संघीय श्रम समुदाय के एक भाग के रूप में नहीं मानते हैं। अनिश्चितता से उत्पन्न कार्य और दृष्टिकोण, उन्हें उनके दीर्घकालिक संबंधों पर एक मजबूत या बाध्यकारी प्रभाव के बिना अवसरवाद की ओर आकर्षित करते हैं, जिससे समाज में अस्थिरता पैदा होती है। संक्षेप में, यह कहना है कि अनिश्चित रोजगार और आर्थिक असुरक्षा की स्थिति व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, दैनंदिन और लंबे समय तक "अनिश्चित" जीवन को प्रभावित करती है।

प्रतिस्पर्धी दबाव और खुले बाजार की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली नीतियों और संस्थागत परिवर्तनों के कारण अनिश्चितता बढ़ी है। बाजार सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता और वैश्वीकरण के मुख्य पहलू ने मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित कीमतों के साथ हर चीज को वस्तु मानकर उसे खरीदा और बेचा। इसमें परिवार, शिक्षा प्रणाली, फर्म, श्रम संस्थानों और सामाजिक सुरक्षा नीति सहित जीवन के हर पहलू को शामिल किया गया। बाजार दक्षता के संचालन में, प्रतिस्पर्धा के लिए बाधाओं की आड़ में सामूहिक हितों को नाकाम करते हुए फिर से विनियमित करके उपयोगी वस्तुओं की बाधाओं को समाप्त कर दिया गया। आर्थिक वृद्धि के उक्त उद्देश्य 'सभी को समृद्ध बनाना' प्रगतिशील पुनर्वितरण के साधन के रूप में राजकोषीय नीति को वापिस लेना उचित ठहराता है। कम आय वालों के लिए अन्य देशों में निवेश करने और निवेश सृजन एवं रोजगार के लिए अधिक प्रत्यक्ष कर और आर्थिक सुरक्षा के प्रावधान को बढ़ावा नहीं दिया जाता था। इसने विभिन्न देशों में प्रतिस्पर्धात्मक दबाव बढ़ाया, जिसमें औद्योगिक देशों और चीन तथा भारत जैसे नए औद्योगिक देशों के साथ कम लागत पर उपलब्ध श्रम की असीमित आपूर्ति शामिल है। इसने आर्थिक विकास के नाम पर सामाजिक संरक्षण और सामाजिक एकजुटता के परिणाम को नष्ट करने वाले हर देश द्वारा नम्य श्रम कानूनों को लागू किया।

बेहतर मैट्रिक्स जैसे देश, राज्य, जिला, मंडल, गाँव और / या संगठन के सकल घरेलू कल्याण (जीडीडब्ल्यु) / सकल घरेलू सुख (जीडीएच) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्णायक बनाते हैं और स्थानीय / स्थापना स्तर पर निर्णय-सृजक बनाते हैं, बड़े पैमाने पर समूह/समाज के विकास के लिए परिपूरक एवं सहायक और कल्याण को बढ़ावा देनेवाली सुरक्षा और समानता पर कुछ हद तक ध्यान दें। वृद्धि और विकास के मापन की उपयुक्त मेट्रिक तदनुसार विभिन्न देशों / राज्यों के बजट को पुनर्निर्देशित करती है। अगर सरकार के लिए यह लोगों की प्राथमिकता हैं तो उनके हित में सुधार करना सरकार का एजेंडा होना चाहिए।

COVID-19 ने दैनिक दिनचर्या के काम में कई अप्रत्याशित बदलाव लाए हैं और दुनिया को इस सच्चाई का एहसास कराया है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य और हित सभी के हित पर निर्भर है। कहीं भी किसी की अस्वस्थता और पीड़ा सभी के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। अब, पहले से कहीं अधिक, हमें असमानता की स्थिति का मूल्यांकन करने और अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 'फिलाडेल्फिया की 1944 घोषणा' की याद दिलाने की आवश्यकता है, जो इस तथ्य को मान्यता देती है कि किसी भी स्थिति की गरीबी हर समृद्धि के लिए खतरा है। इसने आम कल्याण और नीतियों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अविश्वसनीय प्रयासों को आह्वान किया, जिससे भौतिक कल्याण प्राप्त करते समय स्वतंत्रता, गरिमा, आर्थिक सुरक्षा और समान अवसर सुगम बना सके। नीतियों को तैयार करते समय और उचित रूप से लागू करते समय, यदि इन निर्देशों को ध्यान में रखा जाता है, तो लोगों में इस तरह की असमानता नहीं होनी चाहिए। लेकिन, भौतिक संपदा के मापन की आंशिक और त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया ने केवल भौतिक संपदा को बढ़ाने की दिशा में नीति के फोकस को विषयांतर किया है।

बता दें कि अल्पावधि में जीडीपी के समानांतर उपाय के रूप में जीडीडब्ल्यु को शुरू करने के लिए COVID अवसर का उपयोग किया जाना चाहिए और दीर्घावधि में उसे बदल दिया जाना चाहिए। कुछ हद तक जीडीडब्ल्यु की शुरूआत से भलाई की दिशा में नीतियों का ध्यान केंद्रित हो सकता है और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, व्यापक गरीबी और इसके परिणामस्वरूप सामाजिक अशांति को कम करने में मदद मिल सकती है। यह आसन्न जलवायु परिवर्तन संकट से निपटने में भी सहायक है।

मलकापुर गांव में रॉक गार्डन

भवानी अक्कापेदी
परियोजना सलाहकार,
सीईडी एवं एफआई
अपर्णा पेनुमर्थी
सहायक प्रोफेसर, सीईएसएस

देश भर में मॉडल जीपी क्लस्टर के निर्माण के लिए परियोजना पर ऑनलाइन अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम

मॉडल जीपी क्लस्टर बनाने के लिए परियोजना पर संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम

पंचायती राज, विकेंद्रीकृत योजना एवं सामाजिक सेवा आपूर्ति केंद्र (सीपीआरडीपी एवं एसएसडी) ने मॉडल जीपी क्लस्टर बनाने के लिए परियोजना पर राज्य नोडल अधिकारियों (एसएनओ), राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों (एसएलएमटी) और जिला स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों (डीएलएमटी) के लिए पहला ऑनलाइन अभिविन्यास प्रशिक्षण पूरा किया है। प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रतिभागियों को परियोजना के बारे में उन्मुख करना है और परियोजना के लक्ष्य एवं उद्देश्यों, दृष्टिकोण और विशिष्ट स्वरुप के बारे में एक सामान्य समझ विकसित करना है।

प्रशिक्षण सभी प्रतिभागी (26) राज्यों और (5) केंद्रशासित प्रदेशों के लिए आयोजित किया गया था जिनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और लेह, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर,मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। COVID-19 महामारी की स्थिति के कारण चार स्लॉट (29 जुलाई से 31 जुलाई, 5 अगस्त से 7 अगस्त, 26 अगस्त से 28 अगस्त और 2 सितंबर से 4 सितंबर 2020 तक) में ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

श्री आलोक प्रेम नागर, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय के मुख्य भाषण के साथ पहले दो तीन-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत की गई और श्री शिव शंकर प्रसाद, निदेशक, पंचायती राज मंत्रालय के मुख्य भाषण के साथ तीसरे और चौथे तीन-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई जिसने अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम को मजबूत बनाया।

प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, मुख्य वक्ताओं ने ग्राम पंचायत स्तर पर एक सहभागी तरीके से नियोजन के महत्व और देश भर में 250 मॉडल जीपी क्लस्टर बनाने के महत्व पर जोर दिया। जीपीडीपी की तैयारी के संदर्भ में श्री आलोक प्रेम नागर ने कहा कि "प्रक्रिया उत्पाद से अधिक महत्वपूर्ण है"। श्री शिव शंकर प्रसाद ने कहा कि राज्यों का स्वामित्व महत्वपूर्ण है और एसएलएमटी/ डीएलएमटी एवं एसएनओ का कार्य-निष्पादन परियोजना के सफलता की कुंजी है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित विषय शामिल हैं: i) समग्र और सतत विकास प्राप्त करने की रणनीति के रूप में जीपीडीपी; ii) जीपीडीपी में गुणवत्ता के मुद्दे और उन्हें प्राप्त करने के साधन; iii) मॉडल जीपी क्लस्टर बनाने के लिए लक्ष्य और उद्देश्य, कार्यान्वयन की कार्यप्रणाली, महत्वपूर्ण परिणाम और परियोजना की उपलब्धि; i v) गुणवत्ता जीपीडीपी के लिए एक शर्त के रूप में परियोजना ग्राम पंचायतों की संस्थागत मजबूती; v) प्रभावी जीपी कार्यप्रणाली के संदर्भ में मिशन अंत्योदय डेटा और एमओपीआर के ई-ग्रामस्वराज पोर्टल की उपयोगिता; vi) स्वैच्छिक कार्यों के आधार पर समुदाय-आधारित, समुदाय प्रबंधित और समुदाय-स्वामित्व वाली विकास प्रक्रिया; और vii) आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और एसडीजी की चुनौतियों का सामना करने और जीपी के प्रभावी कामकाज में सकारात्मक विचार-विमर्श करने और मॉडल जीपी के निर्माण में परियोजना की भूमिका।

सहभागिता के दौरान, प्रतिभागियों ने कार्यान्वयन क्रियाविधि से संबंधित परियोजना, परियोजना की विभिन्न गतिविधियों और परियोजना के विभिन्न हितधारकों और वित्तपोषण क्रियाविधि की भूमिका के बारे में कई सवाल उठाए। सभी सवालों का जवाब स्रोत व्यक्तियों द्वारा उदाहरण के साथ दिया गया था, और प्रतिभागियों को भावी अध्ययन एवं परियोजना की समझ से संबंधित सभी पठन सामग्री प्रदान की गई।

प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में, प्रतिभागियों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया और टिप्पणियां दी। सुश्री रेमी लैकरडा, जो गोवा की एक राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर हैं, ने लिखा: "कार्यक्रम यथोचित योजनाबद्ध, व्यवस्थित और विषयों को बेहतर तरीके से शामिल किया गया था। बात साझा करने के लिए धन्यवाद। यह ज्ञान निश्चित रूप से हमें परियोजना के साथ आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करेगा।"

इन कार्यक्रमों का समन्वय श्री दिलीप कुमार पाल, मॉडल जीपी क्लस्टर के लिए परियोजना टीम लीडर और मॉडल जीपी क्लस्टर के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई टीम के साथ डॉ. अंजन कुमार भांजा, एसोसिएट प्रोफेसर, सीपीआरडीपी एवं एसएसडी, एनआईआरडीपीआर ने किया।

लोक योजना के तहत जीपीडीपी के प्रभावी निरूपण के लिए दमन एवं दीव के पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला

ग्राम पंचायत विकास योजना के सूत्रीकरण के लिए दमन एवं दीव के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं सहित पीआरआई के चयनित प्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए, 19 और 20 अगस्त, 2020 के दौरान पंचायती राज, विकेंद्रीकृत योजना और सामाजिक सेवा वितरण (सीपीआरडीपी एवं एसएसडी) केंद्र ने दो दिवसीय ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया। प्रतिभागी दमन एवं दीव की जिला और ग्राम पंचायतों से थे। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य जीपीडीपी की तैयारी में शामिल चरणों, प्रक्रियाओं और मुद्दों पर प्रतिभागियों को उन्मुख करना; प्रामाणिक डेटा संग्रह के लिए पीआरए तकनीकों के साथ उन प्रतिभागियों को परिचित कराना; जीपी कार्यप्रणाली और जीपीडीपी में गुणवत्ता के मुद्दों पर एक स्पष्ट और सामान्य समझ विकसित करना; और पंचायत को समर्थ बनाने एवं गुणवत्ता जीपीडीपी के निर्माण के लिए एनआईआरडीपीआर के एमओपीआर और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अवसरों का उपयोग करने के लिए उनका मार्गदर्शन करना था। COVID-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए ऑनलाइन मोड पर प्रशिक्षण दिया गया था।

प्रशिक्षण की शुरुआत भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के अवर सचिव, श्री अविनाश चंदर द्वारा की गई, जिन्होंने दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम को मजबूत आधार दिया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि भागीदारी और समावेशी ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय प्राप्त करने का एक साधन है। उन्होंने आगे कहा कि लोक योजना अभियान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जमीनी स्तर के अधिकारी अग्रिम पंक्ति के योद्धा हैं। श्री अविनाश ने लोक योजना अभियान 2020-21 के कार्य बिन्दुओं पर अधिक बल दिया। उन्होंने इस महामारी में ग्राम सभाओं के संचालन के लिए ग्राम पंचायत द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों पर चर्चा की।

कार्यशाला के पहले दिन श्री प्रेमजी मखवाना, बीडीओ, दमन एवं दीव ने स्वागत भाषण दिया।

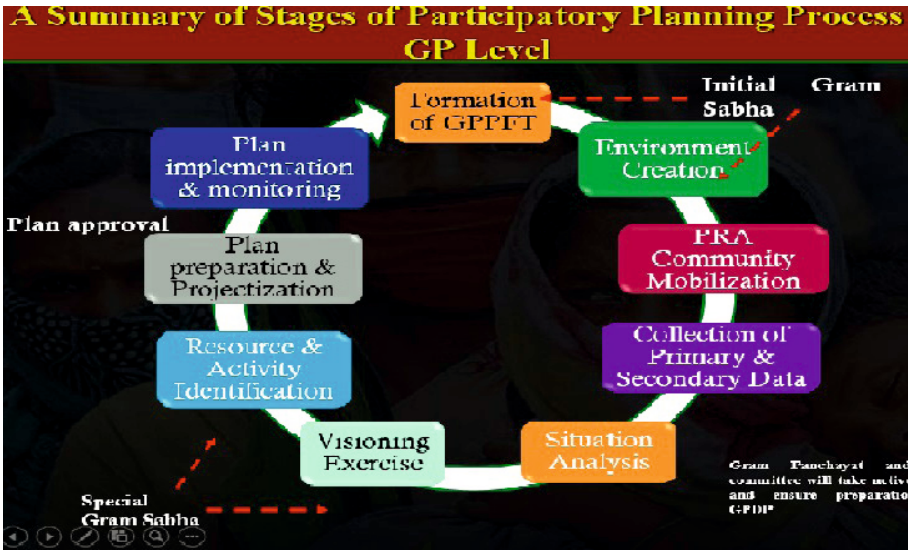

प्रस्तुतीकरण की एक स्लाइड

2018 से लोक योजना अभियान के भाग के रूप में सहभागी जीपीडीपी की तैयारी के लिए दमण एवं दीव के पीआरआई के चयनित प्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए उन्होंने पंचायती राज मंत्रालय और एनआईआरडीपीआर के क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण पहल पर प्रकाश डाला।

श्री प्रेमजी मखवाना ने आगे उल्लेख किया कि पंचायत स्तर पर भागीदारी और समावेशी ग्राम पंचायत विकास योजना का निरूपण ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्यकारियों के संपूर्ण सहयोग तथा भागीदारी से संभव है।

डॉ.अंजन कुमार भंजा ने कार्यशाला की पृष्ठभूमि एवं उद्देश्यों और लोक योजना अभियान के लक्ष्य तथा उद्देश्य और गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए सत्र की शुरुआत की। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी सत्रों जैसे जीपीडीपी की तैयारी में शामिल चरणों, प्रक्रियाओं और मुद्दों; जीपी कामकाज और जीपीडीपी में गुणवत्ता के मुद्दे; प्रभावी जीपी कार्यप्रणाली के संदर्भ में एमओपीआर के मिशन अंत्योदय डेटा और ई-ग्राम स्वराज पोर्टल की उपयुक्तता; समुदाय आधारित, समुदाय प्रबंधित और समुदाय के स्वामित्व वाली विकास की प्रक्रिया; और भागीदारी योजना- पीआरए के लिए सामुदायिक स्तर के डेटा संग्रह में साधनों पर ध्यान केंद्रित करके कार्यशाला की रूपरेखा पर चर्चा की।

सत्र संवादात्मक थे और प्रतिभागियों ने कई मुद्दों जैसे ई-ग्राम स्वराज पोर्टल में गतिविधि मानचित्रण; मिशन अंत्योदय डेटा की उपयुक्तता; जीआईएस आधारित स्थानिक योजना, नियोजन प्रक्रिया में लाइन विभाग की भागीदारी आदि पर अपने सवाल किए। प्रतिभागियों को अधिकतर अध्ययन के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना के सूत्रीकरण के चरण, प्रक्रिया से संबंधित पठन सामग्री प्रदान की गई।

सुश्री ऋचा चौधरी, सलाहकार, पंचायती राज विभाग, झारखंड सरकार ने ग्राम पंचायत विकास योजना के साथ सतत विकास लक्ष्यों के एकीकरण पर एक सत्र का संचालन किया। डॉ. अंजन कुमार भंजा, एसोसिएट प्रोफेसर, सीपीआरडीपी एवं एसएसडी, एनआईआरडीपीआर ने श्री अवनीश कुमार राय, परियोजना एसोसिएट, एनआईआरडीपीआर के साथ कार्यक्रम का समन्वय किया।

पशुधन क्षेत्र में उद्यमिता विकास पर राष्ट्रीय टीओटी

मानव संसाधन विकास केंद्र (सीएचआरडी), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद ने 24 अगस्त से 7 सितंबर, 2020 तक 'पशुधन क्षेत्र में उद्यमिता विकास' पर दो सप्ताह का राष्ट्रीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। पशुधन उद्यमिता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में पांच मॉड्यूल शामिल थे: 1.उद्यमिता के लिए पशुधन, 2. पशुधन का प्रबंधन, खाद्य और स्वास्थ्य सेवा, 3. मूल्य श्रृंखला और किसान उत्पादक संगठनों की अवधारणा, 4. ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए दूध, मांस, अंडे तथा गोबर के प्रति अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र एवं मूल्यवर्धन और 5. बैंक योग्य परियोजनायें, वित्तीय और विपणन कार्य, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और चैंपियन कैसे बनें।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य पशुधन क्षेत्र में अवसरों, ग्रामीण उद्यमिता में चुनौतियों तथा अवसरों, पशुधन और आंगन में मुर्गीपालन, प्रबंधन, खाद्य एवं स्वास्थ्य सेवा का अवसर प्रदान करने पर ज्ञान प्रदान करना, डेयरी की अर्थनीति, मूल्य श्रृंखला और एफपीओ दृष्टिकोण, प्रसंस्करण और उत्पादों के निर्माण एवं अर्थनीति में प्रशिक्षित करना, व्यापार में वित्त पोषण, विपणन, ब्रांडिंग, नैतिकता, शिष्टाचार तथा मूल्यों पर ज्ञान प्रदान करना और प्रतिभागियों के साथ पशुधन उद्यमियों के अनुभवों एवं ज्ञान को साझा करना था।

पहले दिन, डॉ. वाई. रमना रेड्डी, कार्यक्रम निदेशक, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीएचआरडी और निदेशक, एनआरएलएम-आरसी ने प्रशिक्षण सूची, दो सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डाला और भारत के विभिन्न राज्यों में पशु स्रोत खाद्य पदार्थों के उत्पादन की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की और निदेशक ने विकासशील देशों में मांस की खपत में बढ़ती प्रवृत्ति का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया के पशुधन का अधिकांश खाद्य विकासशील देशों के छोटे मिश्रित खेतों से आता है और यह पशु स्रोत खाद्य पदार्थों के लिए मांग बढ़ने का संदर्भ है। उन्होंने कहा कि यह ग्रामीण रोजगार का सृजन करने और बाजार की मांग को पूरा करने के लिए एक सक्रिय कदम उठाने का समय है।

डॉ. पी. पी. साहू, एसोसिएट प्रोफेसर, उद्यमिता विकास एवं वित्तीय समावेशन केंद्र (सीईडी एवं एफआई), एनआईआरडीपीआर ने ग्रामीण उद्यमियों की चुनौतियों और अवसरों को उदाहरण देकर स्पष्ट किया। विशेष रूप से COVID-19 परिदृश्य के दौरान, बाधाओं का सामना कर रहे पहली पीढ़ी के उद्यमी, पारिस्थितिकी तंत्र के ज्ञान को खोना', उद्भवन पारिस्थितिकी तंत्र को खोना', बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र को खोना', कमज़ोर लेखा कौशल, समूह मानसिकता और अन्य बाधाओं जैसे विपणन, कच्चे माल आदि, जो ग्रामीण उद्यमियों को एक सफल उद्यम स्थापित करने से रोक रहे हैं। उन्होंने व्यवसाय की स्थापना और व्यवसाय योजना का महत्त्व एवं उसके घटक, उद्यम संवर्धन के लिए विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत भारत सरकार की विभिन्न योजनायें अर्थात् एमओआरडी के तहत एसवीईपी, एमएसएमई मंत्रालय के तहत एएसपीआईआरई, आईएनएसपीआईआरई, पीएमईजीपी, एसएफआरयूटीआई, वित्त मंत्रालय के तहत मुद्रा आदि पर जानकारी साझा की, जो पहली पीढ़ी के उद्यमियों के लिए बाधाओं को दूर करने और सफल बनने में महत्वपूर्ण मार्ग हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान शामिल अन्य प्रमुख क्षेत्र संबद्ध थे और भारतीय डेयरी उद्यम की चुनौतियों में स्रोत की कमी वाले लाखों किसान, बेहतर उत्पादन के लिए डेयरी पशुओं का प्रबंधन और स्वास्थ्य देखभाल, विभिन्न शारीरिक चरणों, गर्भावस्था और दुग्ध पान में डेयरी समूह का खाद्य,

चारा और पशुभोजन संसाधन प्रबंधन, आधारीय आहार के मूल्य संवर्धन का महत्व, चारा प्रसंस्करण / घनत्व, सुदृढ़ीकरण, प्रसंस्करण विकल्प, पानी, चारा संरक्षण प्रौद्योगिकियां, छोटे जुगाली करने वालों का प्रबंधन और स्वास्थ्य देखभाल, प्रजनन प्रबंधन, प्रजनन के मौसम पर महत्त्व देने, गर्भ के दौरान देखभाल और प्रबंधन की जानकारी शामिल है।

आवास महत्व, व्यवहार में जलवायु कारकों का प्रभाव, मक्खियों से होनेवाली बीमारियों और हमलों को रोकने के तरीके, छोटे जुगाली करने वाले पशुओं की विभिन्न पालन प्रणाली, विभिन्न देखरेख प्रणाली के फायदे और नुकसान, भेड़ और बकरियों से किफायती मांस उत्पादन के लिए सबसे उत्कृष्ट खाद्य पद्धतियां, आजीविका और उद्यमिता के लिए घर के आंगन या खाली जगह में मुर्गी पालन, गुणवत्ता वाले पशु खाद्य उत्पादन और इसके महत्व के लिए मूल्य श्रृंखला की अवधारणा, सामुदायिक सामूहिक विपणन, गरीब किसानों की समस्याएं, विपणन में ग्राम संगठनात्मक हस्तक्षेप की बाधाएं और आवश्यकता जैसे विषयों को भी शामिल किया गया।

इनके अलावा, किसान निर्माता संगठनों (एफपीओ) की अवधारणा और इसका महत्त्व, हर चरण में अर्थात् खरीद, उत्पाद तैयार करने और विपणन करने से लेकर दूध, मांस तथा अंडे और आर्थिक व्यवस्था तक मूल्यवर्धन की अवधारणाएँ, गाय के गोबर से बायोगैस एक स्थायी ग्रीन एंटरप्राइज कैसे हो सकता है जो रोजगार पैदा कर सकता है, खेती की लाभप्रदता और दक्षता का आकलन करने के लिए डेयरी उत्पादन में अर्थशास्त्र का अनुप्रयोग, लागत को कम करके और प्रतिफल को बढाकर दैनिक आय बढ़ाने के लिए उपयुक्त हस्तक्षेप की खोज, कैसे बैंक योग्य व्यापार परियोजनाएं बनाते हैं, वित्तपोषण के प्रमुख सिद्धांत, परियोजना प्रबंधन और बाजार मूल्यांकन, तकनीकी मूल्यांकन, विपणन में ब्रांड समानता, वित्तीय मूल्यांकन की अवधारणाएं, सामाजिक लागत-लाभ विश्लेषण, परियोजनाओं की निगरानी और कृषि क्षेत्र में हालिया रुझान, 3 आरएस (रेस्पेक्ट फॉर पीपल, रेस्पोंसिबिलिटी, रिजल्ट) का महत्व, नैतिक व्यवहार, प्रबंधन नैतिकता के मॉडल, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और अन्य उपयोगी अवधारणाएँ जैसे महत्वपूर्ण विषय भी शामिल हैं।

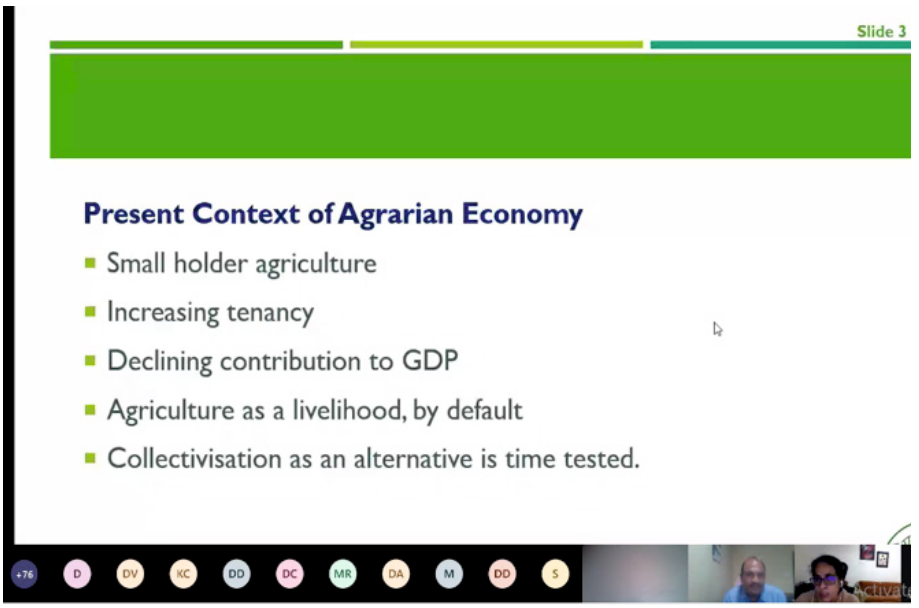

इसके अलावा, प्रशिक्षुओं को पशुधन उद्यम में होनेवाले उतार-चढ़ाव को समझने और उद्यम के सफल संचालन में उन्हें दूर करने के लिए डेयरी, भेड़ और घर के आंगन या खाली जगह में मुर्गी पालन पर उद्यमियों के साथ एक बातचीत सत्र भी आयोजित किया गया था।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुल 2,070 नामांकन प्राप्त हुए और 224 (पुरुष- 171, महिला - 53 और 2 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी) पंजीकृत प्रशिक्षुओं को चयनित किया गया। उनमें से 127 (पुरुष - 98 और महिला- 29) ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया और प्रशिक्षण कार्यक्रम के मानदंडों को पूरा करके ई-प्रमाणपत्र प्राप्त किया।

सफल प्रतिभागियों की प्रोफाइल में पशुपालन अधिकारी (पशु चिकित्सा सहायक सर्जन या समकक्ष - 34, सहायक निदेशक - 13, सहायक आयुक्त - 1, उप निदेशक - 3), विश्वविद्यालयों और आईसीएआर के प्रशासनिक अधिकारी (अनुसंधान उप-निदेशक - 1, अस्पताल के रजिस्ट्रार - 1, अनुसंधान के संयुक्त निदेशक, एनडीआरआई - 1), विभिन्न पशु चिकित्सा महाविद्यालयों से शिक्षण संकाय (असिस्टेंट प्रोफेसर - 33, एसोसिएट प्रोफेसर - 2, प्रोफेसर - 5), केवीके के वैज्ञानिक (3), कुक्कुट विकास और अनुसंधान अधिकारी (3), एसआईआरडी (4) एसआरएलएम (1) और ईटीसी (1) कर्मचारी, अनुसंधान अध्येता (13), युवा पेशेवर (1), अंतर्राष्ट्रीय अध्येता (1) और अन्य (6) शामिल थे।

राज्यवार प्रतिभागियों में आंध्र प्रदेश के पंद्रह, बिहार के छह, हरियाणा, कर्नाटक और तमिलनाडु के आठ, महाराष्ट्र के तेईस, मिजोरम के तीन, ओडिशा के उन्नीस, पुदुचेरी के चार, राजस्थान के पांच, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के दस, असम, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और नाइजीरिया (अंतर्राष्ट्रीय) से एक-एक शामिल हैं।

समापन सत्र में, कार्यक्रम निदेशक डॉ. वाई. रमना रेड्डी ने समापन भाषण दिया और प्रतिभागियों से बातचीत की। सुश्री शेफाली सिंह, युवा पेशेवर और रिम्की पाटगिरी, अनुसंधान सहयोगी, एनआरएलएम- आरसी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन में कार्यक्रम निदेशक की सहायता की।

तेलंगाना में पोषण अभियान के तहत जन आन्दोलन के माध्यम से पोषण परिणामों में सुधार के लिए पीआरआई के कार्य पर टीओटी

प्रस्तुति की स्लाइड

पोषण अभियान बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण परिणामों में सुधार करने के लिए भारत का प्रमुख कार्यक्रम है। पोषण अभियान मुख्य पोषण एवं स्वास्थ्य व्यवहार संबंधी लोगों को सलाह देने तथा प्रभावित करने और ग्राम पंचायत स्तर पर गति प्रदान करने के लिए पीआरआई की भूमिका पर जोर देता है।

इस संदर्भ में, तेलंगाना राज्य में पोषण अभियान के तहत जन आंदोलन के माध्यम से पोषण परिणामों में सुधार करने के लिए पंचायती राज संस्थानों की संलग्नता पर जिला और मंडल स्रोत व्यक्तियों की क्षमता निर्माण के लिए तेलंगाना के डीडब्ल्युसीडी के सहयोग से सीआरयू-एनआईआरडीपीआर और यूनिसेफ हैदराबाद क्षेत्र कार्यालय ने ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बनाई। पोषण अभियान में पीआरआई सदस्यों को संलग्न करने के लिए नीति आयोग प्रशिक्षण पैकेज को इन आभासी प्रशिक्षण के आयोजन में अपनाया गया था। इन टीओटी का आयोजन सहभागिता और समर्थन को बढाने, पोषण की गतिविधियों का अवलोकन करने और परिवारों के बीच उनके गाँवों में पोषण व्यवहारों (पोषण-विशिष्ट तथा पोषण-संवेदनशील) की पद्धति को बढ़ावा देने के लिए समुदाय प्रभावकों के रूप में कार्य करने के संदेश के साथ पीआरआई सदस्यों और ग्राम पंचायत सचिवों तक पहुँचने के समग्र उद्देश्य से किया गया था।

लाइन विभागों अर्थात् आरडी एवं पीआर,डीडब्ल्युसीडी,स्वास्थ्य,एसईआरपी और आदिवासी कल्याण के जिला तथा मंडल स्रोत व्यक्तियों के लिए 22 एवं 23 सितंबर को आभासी टीओटी के दो बैच आयोजित किए गए थे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 210 जिला स्रोत और 490 मंडल स्रोत व्यक्ति शामिल हुए।

संचार संसाधन इकाई (सीआरयू) के एसबीसीसी समन्वयक श्री श्रीनिवास ने टीओटी कार्यक्रम का संदर्भ और अवलोकन प्रस्तुत किया।

सुश्री सीमा, यूनिसेफ एचएफओ की सी 4 डी विशेषज्ञ ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने 'पोषण माह' के भाग के रूप में तेलंगाना के महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पीआरआई सदस्य गांव के स्तर पर पोषण अभियान कार्यक्रम में अभिसरण प्रवृत्त करने में भूमिका निभा सकते हैं।

डॉ. आर. रमेश, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, संचार संसाधन इकाई ने कुपोषण से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए जीपीडीपी में बजट को शामिल करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और ऐसी गतिविधियाँ जैसे आवास दौरे आदि जो बिना किसी मौद्रिक सहायता के पूरी की जा सकती हैं उन पर विचार करने के लिए पीआरआई में सक्रिय होनेवाले व्यवहार परिवर्तनों पर भी बात की।

सुश्री के.आर.एस. लक्ष्मी देवी, तेलंगाना की महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग की संयुक्त निदेशक और राज्य की पोषण अभियान की संयुक्त परियोजना समन्वयक तथा नोडल अधिकारी सुश्री ललिता ने विभाग की ओर से सहभाग लिया और टीओटी के आयोजन में सीआरयू-एनआईआरडीपीआर के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से सचेत रहने और संदेश

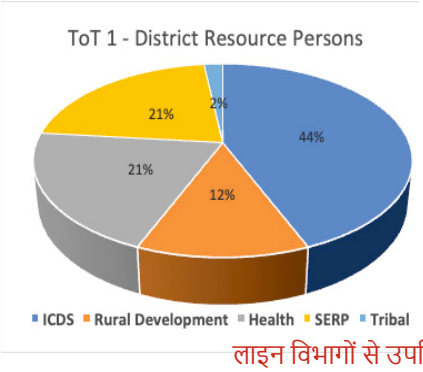

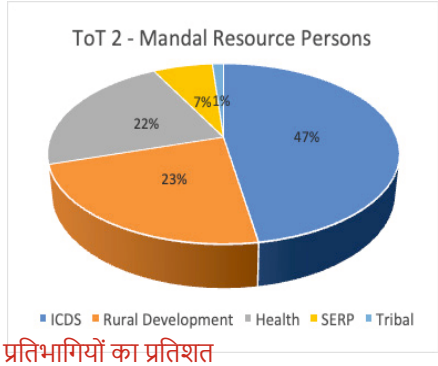

लाइन विभागों से उपस्थित प्रतिभागियों का प्रतिशत

को आगे बढ़ाने का भी अनुरोध किया। सुश्री देवी ने 'पोषण माह' के भाग के रूप में विभिन्न गतिविधियों पर प्रकाश डाला, जो अन्य लाइन विभागों के साथ अभिसरण मोड में शुरू की जा रही हैं।

सीआरयू -यूनिसेफ की संसाधन टीम ने सभी सत्रों का समन्वय किया। संसाधन टीम में सीआरयू से सुश्री अरविंदा देवी और सुश्री जोन्स और डॉ. क्याथी, पोषण विशेषज्ञ और श्री प्रकाश, एसएएम सलाहकार, यूनिसेफ और पोषण अभियान तेलंगाना के एसपीएमयू से सुश्री श्रुति शामिल थीं। इन सत्रों में कई विषयों को शामिल किया गया था जैसे पोषण का महत्त्व, जीवन चक्र दृष्टिकोण, 1000 दिनों की देखभाल, बीमार बच्चों की देखभाल – एसएएम और एमएएम, पोषण संवेदनशील व्यवहार: टीकाकरण और विटामिन ए पूरकता, किशोरियों की देखभाल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य व्यवहार, जीपीडीपी एवं पोषण, और पोषण जन आंदोलन में पीआरआई सदस्यों की अपेक्षित भूमिका।

सभी प्रतिभागियों को उपरोक्त सत्रों और प्रमुख संदेशों पर अंतर्दृष्टि प्रदान की गई, जिसके बदले में पीआरआई सदस्य उनके समुदायों में पोषण व्यवहारों के लिए ग्राम स्तर पर परिवर्तन एजेंट के रूप में बता सकते हैं। अंत में, एसपीएमयू की सुश्री श्रुति द्वारा अगले स्तर के प्रशिक्षण सोपान के लिए एक सूचीबद्ध योजना पर चर्चा की गई। उन्होंने इस प्रक्रिया पर विस्तार से बताया कि अगले स्तर के प्रशिक्षणों को आयोजित करने के लिए और मंडलियों से इस तरह के कार्यक्रम की रिपोर्टिंग पर भी इसका पालन करना होगा।

सीआरयू के एसबीसीसी समन्वयक श्री श्रीनिवास ने जिला और मंडल स्रोत व्यक्तियों को नामांकित करने के लिए लाइन विभागों अर्थात् डीडब्ल्युसीडी, स्वास्थ्य, आरडी एवं पीआर, एसईआरपी और आदिवासी कल्याण के सभी विभागाध्यक्षों को धन्यवाद दिया और सभी प्रतिभागियों को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने विश्वास जताया कि पीआरआई सदस्यों को अगले स्तर के प्रशिक्षण देने में प्रशिक्षण सत्र आवश्यक जानकारी और सामग्री से तैयार थे।

कार्यक्रम का समन्वय एनआईआरडीपीआर के संचार संसाधन इकाई में श्री एस. श्रीनिवास, एसबीसीसी समन्वयक ने किया।

एनआईआरडीपीआर में हिंदी पखवाड़ा समारोह

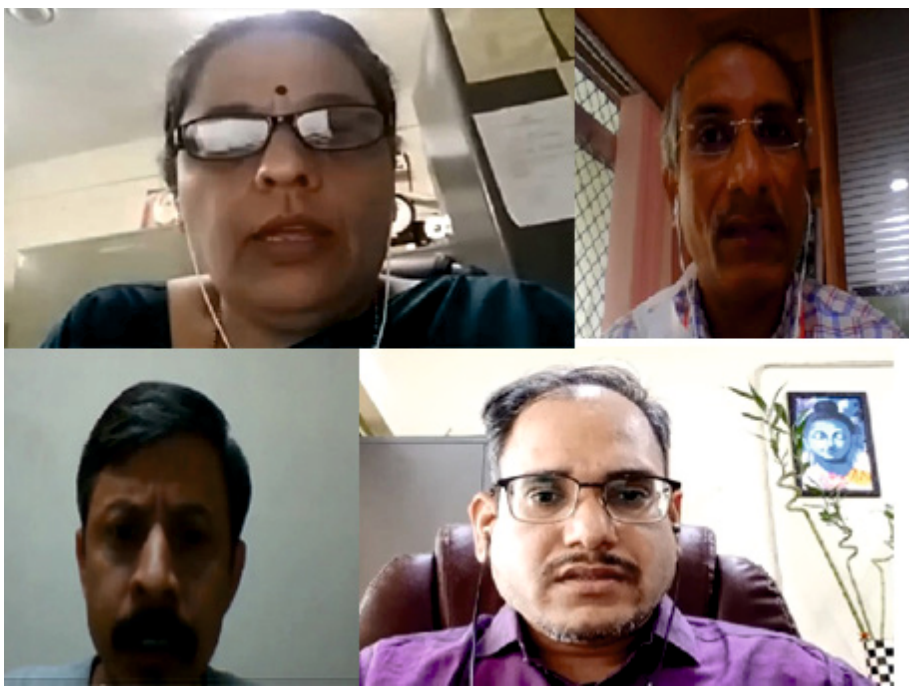

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देश के अनुसार और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ, संस्थान में 14 से 28 सितंबर, 2020 के दौरान हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। वर्तमान COVID-19 महामारी के मद्देनजर श्रीमती राधिका रस्तोगी, उप-महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर के सक्षम संचालन में एक ऑनलाइन भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। संस्थान के कर्मचारियों और पीजीडीआरडीएम के छात्रों के लिए अलग से प्रतियोगिता आयोजित की गई थी।

एनआईआरडीपीआर के कर्मचारियों और पीजीडीआरडीएम के छात्रों के लिए क्रमशः भाषण प्रतियोगिता का समन्वयन श्री नरसिम्हा राजू केसिपेड्डी, महानिदेशक के ओएसडी और डॉ. सोनल मोबार रॉय, सहायक प्रोफेसर, सीपीजीएस एवं डीई ने किया।

श्रीमती अनिता पांडे, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने ऑनलाइन भाषण प्रतियोगिता के दौरान सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और हिंदी पखवाड़े की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की। प्रतियोगिता का विषय-'COVID-19 महामारी के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका' था। प्रतियोगिता का आयोजन हिंदी और गैर-हिंदी भाषी प्रतिभागियों के लिए अलग से किया गया था। प्रतियोगिता के विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए। श्री ई. रमेश, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक और श्रीमती वी. अन्नपूर्णा, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में उपस्थित रहे।

सांसद आदर्श ग्राम योजना- II (2019- 24) के प्रभारी अधिकारियों के लिए सीएचआरडी द्वारा दो क्रम में आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम

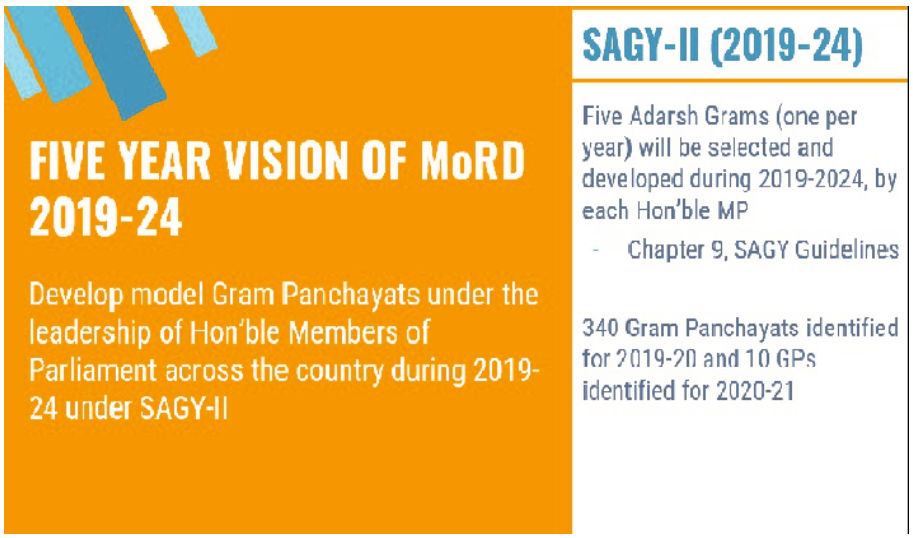

प्रस्तुति की स्लाइड

एसएजीवाई- सामर्थ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम- एसएजीवाई –II (2019-24) के प्रभारी अधिकारियों के लिए योजना प्रक्रिया और कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन पर पूर्ण क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद द्वारा ऑनलाइन पद्धति के जरिए दो चरणों में अर्थात् 28-31 जुलाई और 1-सितंबर, 2020 के दौरान किया गया। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के एसएजीवाई प्रभाग द्वारा कार्यक्रम प्रायोजित किया गया।

यद्यपि एक चरण में देश भर में इस कार्यक्रम को आयोजित करने के बारे में सोचा गया था, बाद में, नामांकन की बड़ी संख्या (लगभग 250) प्राप्त होने के कारण, इसे दो चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहला चरण दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए आयोजित किया गया था और दूसरा चरण देश के उत्तरी, पश्चिमी और मध्य राज्यों के लिए आयोजित किया गया था।

वास्तव में, पूर्व के चरणों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल पदाधिकारियों के लाभ के लिए अतीत में (आंतरिक) कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और ये दो देश भर में एसएजीवाई कार्यक्रमों की श्रृंखला में पहला ऑनलाइन कार्यक्रम था। संस्थान ने अब तक कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल लगभग 1,300 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया। ग्राहक समूह में मुख्य रूप से एसएजीवाई ग्राम पंचायतों के प्रभारी अधिकारी, प्रशिक्षकों की राज्य टीम, राज्य नोडल अधिकारी आदि शामिल हैं।

देश में प्रचलित COVID-19 महामारी के कारण, यह कार्यक्रम ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित किया गया था। पहले चरण में, लगभग 160 प्रभारी अधिकारियों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नामांकित किया गया था और 123 ने भाग लिया था। इसी तरह, दूसरे चरण में, 260 अधिकारियों और पीआरआई के चयनित पीआरआई प्रतिनिधियों को नामित किया गया था। हालाँकि, इस कार्यक्रम में कुल 180 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले अंतिम मिनट के तकनीकी मुद्दों से बचने के लिए, प्रतिभागियों को ऑनलाइन आवेदन का उपयोग करने के तरीकों पर पाठ्यक्रम टीम द्वारा प्रदर्शन और मार्गदर्शन दिया गया था।

कार्यक्रम के उद्देश्य थे : (i) प्रतिभागियों को एसएजीवाई कार्यक्रम के महत्व और मॉडल गांवों को बनाने में इसकी भूमिका के बारे में उन्मुख करना, (ii) प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रतिभागियों को एसएजीवाई योजना की रणनीतियों से लैस करना, (iii) प्रभावी नियोजन प्रक्रियाओं के लिए भागीदारी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) के कौशल तथा तकनीक प्रदान करना और (iv) प्रतिभागियों को विभिन्न सफल ग्रामीण विकास मॉडल प्रदर्शित करना।

कुल मिलाकर, 303 (123 + 180) प्रभारी अधिकारी जिसमें 231 पुरुष (79 + 152) और 72 महिलाएं (44+28) 23 राज्यों (11 + 12) से उपस्थित हुए अर्थात् पहले चरण में, आंध्र प्रदेश (20), अरुणाचल प्रदेश (1), असम (2), कर्नाटक (3), केरल (39), मणिपुर (1), नागालैंड (2), पुद्दुचेरी (के.शा.प्र.) (1), सिक्किम (1) तमिलनाडु (51) और तेलंगाना (2), दूसरे चरण में, बिहार (9), छत्तीसगढ़ (12), गुजरात (40), हरियाणा (8), हिमाचल प्रदेश (2), जम्मू एवं कश्मीर (के.शा.प्र.) (1), मध्य प्रदेश (5), महाराष्ट्र (27), पंजाब (27), राजस्थान (16), उत्तर प्रदेश (16) और उत्तराखंड (2) ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

डॉ. रमना रेड्डी, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (प्रभारी), मानव संसाधन विकास केंद्र, एनआईआरडीपीआर ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और एसएजीवाई कार्यक्रम के महत्व को समझाया।

डॉ. लखन सिंह, सहायक प्रोफेसर एवं पाठ्यक्रम निदेशक ने पाठ्यक्रम संरचना / योजना को प्रस्तुत किया और प्रतिभागियों को ऑनलाइन मोड के साथ अधिक सुविधापूर्ण बनाने के लिए उनसे बातचीत की। उन्होंने चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पालन किए जाने वाले आवश्यक निर्देशों को भी साझा किया।

दोनों कार्यक्रमों का उद्घाटन डॉ. बिस्वजीत बैनर्जी, आईएएस, संयुक्त सचिव, पीपीपी और एसएजीवाई, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने किया। अपने उद्घाटन भाषण के दौरान, उन्होंने प्रतिभागियों के साथ विस्तार से बातचीत की। उन्होंने एसएजीवाई दिशानिर्देशों पर प्रकाश डाला, जिसके अनुसार माननीय संसद सदस्यों ने 2019-24 के दौरान आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए (प्रति वर्ष) पांच ग्राम पंचायतों की पहचान की है। अब तक माननीय सांसदों ने 2019-20 के दौरान 340 ग्राम पंचायतों की पहचान की है और 2020-21 के लिए आठ जीपी हैं, ऐसा उन्होंने बताया। इसके अलावा, डॉ. बिस्वजीत ने प्रभारी अधिकारियों को सलाह दी कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में पाँच ग्राम पंचायतों की पहचान करने में माननीय सांसदों का साथ दें। उन्होंने एसएजीवाई के अधिकारियों के क्षमता निर्माण हेतु ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने के लिए और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए भी एनआईआरडीपीआर को धन्यवाद अर्पित किया।

डॉ. बिस्वजीत ने COVID -19 की समस्याओं एवं चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला और कोरोनोवायरस के फैलाव को रोकने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने और एहतियाती उपायों का पालन करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एसएजीवाई ग्राम पंचायतों को COVID-19 पर ग्रामीणों के बीच जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए और जरूरतमंदों को आवश्यक सहायता प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने कृषि, किसानों, युवाओं, खाद्य सुरक्षा, वैकल्पिक विपणन, सभी ग्रामीण विकास योजनाओं की पहुंच, विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के तहत उपलब्ध संसाधनों के अभिसरण, गांव-स्तर पर विकास गतिविधियों के सहभागी मूल्यांकन को सुनिश्चित करने आदि की आवश्यकता पर भी बात की। डॉ. बिस्वजीत ने कम संख्या में ग्राम विकास योजनाओं (वीडीपी) के उपक्रम के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की और प्रभारी अधिकारियों को ग्राम विकास योजना तैयार करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने को कहा।

श्रीमती रूप अवतार कौर, आईएफएस, निदेशक, एसएजीवाई, एमओआरडी ने भी प्रतिभागियों के साथ बातचीत की और एसएजीवाई के तहत ग्राम पंचायतों के कुछ चुनिंदा सफल मॉडलों पर एक प्रभावशाली प्रस्तुति दी। प्रस्तुति से पता चला कि जहाँ भी जीपी अध्यक्ष तथा प्रभारी अधिकारियों ने गहरी दिलचस्पी दिखाई और इस योजना को अपनाया था, उन जीपी ने उत्तम कार्य किया है और मॉडल गांवों के रूप में उभरे हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सत्र कार्यक्रम के उद्देश्यों और पूर्ववर्ती चरण के कार्यक्रमों में प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए विकसित किए गए थे। सत्र जिन्हें चार दिनों में प्रस्तुत किया गया था उनमें एसएजीवाई पर अवलोकन, ग्रामीण विकास के सफल मॉडल, योजना उद्देश्य के लिए मिशन अंत्योदय डेटा का उपयोग, एसएजीवाई पंचायत के लिए क्षेत्र के दौरे पर अनुभव साझा करना, एसएजीवाई के तहत प्रवेश बिंदु गतिविधियाँ / सामाजिक जुटाव, वीडीपी ढांचा, बेसलाइन सर्वेक्षण, पीआरए उपकरण और तकनीक, संसाधन संरचना और अभिसरण रणनीतियों की उपलब्धता, एसएजीवाई के सफल मॉडल गांव, एसएजीवाई की परियोजना उपरांत मूल्यांकन अध्ययन से अवलोकन, निम्न / निम्नतर लागत विकास, COVID -19 और आजीविका दृष्टिकोण, एसएजीवाई में प्रयुक्त एमआईएस का प्रदर्शन शामिल थे।

मिशन समृद्धि के श्री राम पप्पू , एनआईआरडीपीआर के डॉ. वाई. रमना रेड्डी, डॉ. सी. कथिरेसन, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीपीआर, डॉ. आर. रमेश, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीआरआई, डॉ. राजेंद्र प्रसाद ममगाईं, प्रोफेसर, एसआरएससी, और डॉ. लखन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, एनआईआरडीपीआर के पूर्व सलाहकार डॉ. सूर्यनारायण रेड्डी, श्री सुभ्रांशु, शेखर सरकार, प्रोफेसर, तेजपुर विश्वविद्यालय, असम, राजीव गाँधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, तमिलनाडु के डॉ. गिरेसन के., डॉ. वरदानी, पूर्व अतिरिक्त निदेशक, डीडीयूएसआईआरडी, लखनऊ, एसएजीवाई प्रभाग, एमओआरडी के श्री सौरभ, सुश्री उमा और श्री रिजो पी. जॉर्ज, तथा श्री अतुल कुमार सिंह, एनआईसी, नई दिल्ली ने सत्रों का संचालन किया।

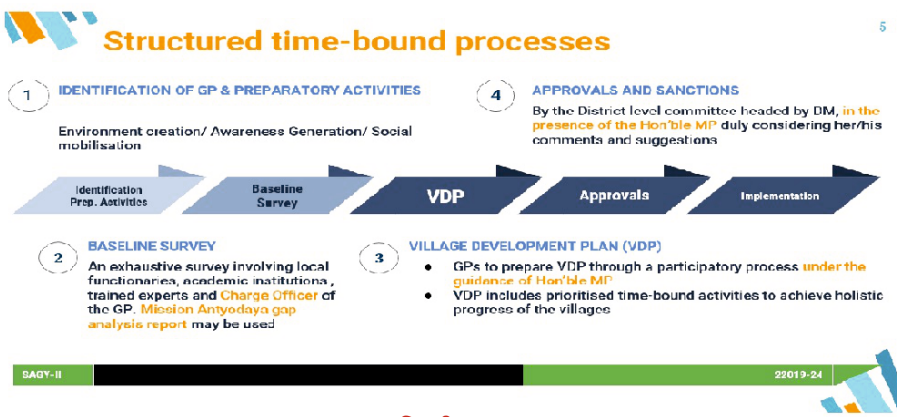

प्रस्तुति की स्लाइड

चूंकि कार्यक्रम ऑनलाइन मंच के माध्यम से आयोजित किया गया था, सभी स्रोत व्यक्तियों से दस्तावेजी फिल्मों, चार्ट, सफलता की कहानियों, मामला अध्ययन, चार्ट, तस्वीरों, वेबसाइट के लाइव प्रदर्शन, प्रस्तुतियों, व्याख्यान विधि, प्रश्न और उत्तर सत्र आदि का उपयोग करके अपने सत्र को एक सहभागी तरीके से प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था और इन सभी पद्धतियों का उपयोग स्रोत व्यक्तियों ने सफलता से किया।

प्रत्येक सत्र के अंत में, प्रतिभागियों को कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए कहा गया था। प्रतिक्रिया से प्रदर्शित हुआ कि पहले कार्यक्रम के 95 प्रतिशत से अधिक प्रतिभागियों और दूसरे कार्यक्रम के 87 प्रतिशत प्रतिभागियों ने सत्र में भाग लेने के बाद अपने ज्ञान, कौशल और अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन की सूचना दी।

डॉ. बिस्वजीत बैनर्जी, आईएएस, संयुक्त सचिव, एसएजीवाई, एमओआरडी ने समापन भाषण दिया। उन्होंने प्रतिभागियों से सीधे कार्यक्रम के बारे में प्रतिक्रिया मांगी और पूछा कि इसे अधिकतम बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। उन्होंने प्रतिभागियों से प्रश्न / स्पष्टीकरण / सुझाव भी मांगे और उनके प्रश्नों का समाधान दिया। उन्होंने एसएजीवाई कार्यक्रम को अत्यधिक अधिक सफल बनाने के लिए अपना पूरा समर्थन और सहयोग देने का वादा करके सभी प्रभारी अधिकारियों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया। दूसरे कार्यक्रम का समापन भाषण पाठ्यक्रम समन्वयक ने दिया।

डॉ. बिस्वजीत बैनर्जी ने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से आयोजित करने में एनआईआरडीपीआर के सीएचआरडी टीम तथा एसएजीवाई प्रभाग, एमओआरडी के प्रयासों की भी सराहना की।

इस कार्यक्रम का समन्वय डॉ. लखन सिंह, सहायक प्रोफेसर, मानव विकास संसाधन केंद्र और डॉ. आर. रमेश, एसोसिएट प्रोफेसर, ग्रामीण अवसंरचना केंद्र, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद ने किया।

COVID-19 संकट के प्रबंधन के लिए पंचायतों के माध्यम से एसडीजी के संस्थानीकरण पर ऑनलाइन टीओटी कार्यक्रम

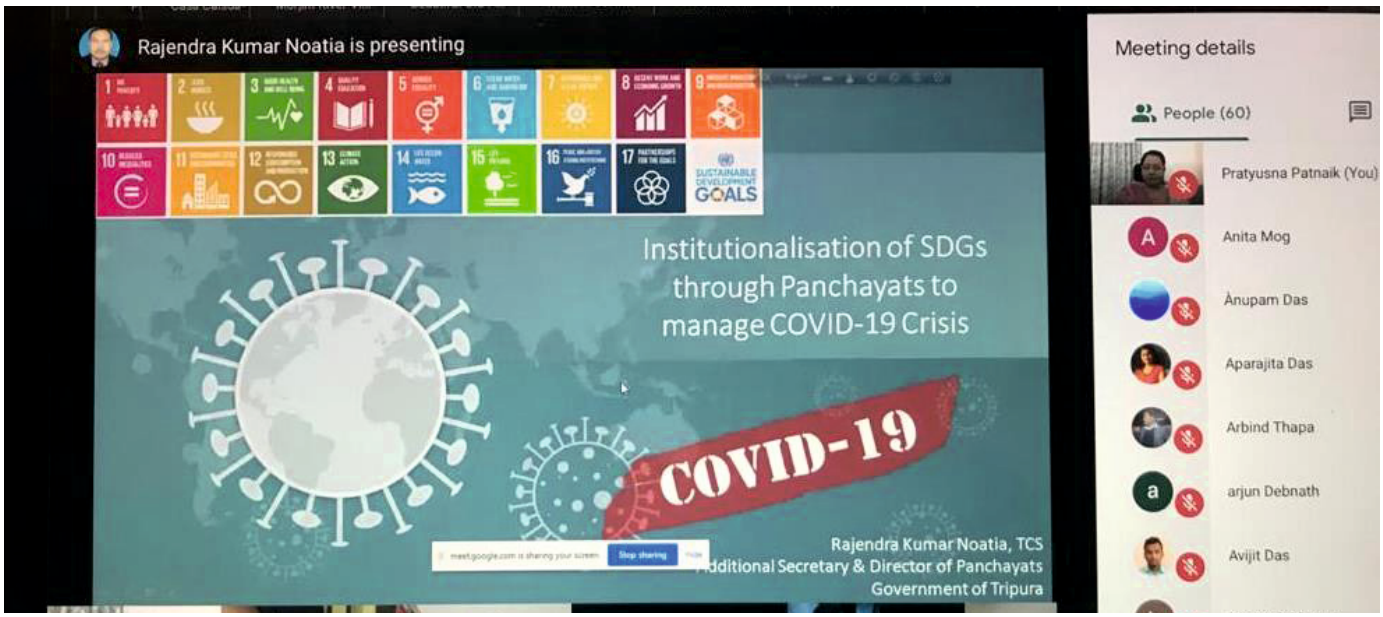

जेंडर समानता पर प्रस्तुति की स्लाइड

पंचायती राज, विकेन्द्रीकृत योजना एवं सामाजिक सुरक्षा अदायगी केंद्र (सीपीआरडीपी एवं एसएसडी), एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद द्वारा सितंबर, 2020 में 'COVID-19 संकट का प्रबंधन करने के लिए पंचायतों के माध्यम से एसडीजी के संस्थानीकरण' पर चार उन्नत ऑनलाइन टीओटी कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के लिए ग्राहक समूह में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर राज्यों के प्रमाणित मास्टर स्रोत व्यक्ति, जिला पंचायती राज अधिकारी और ब्लॉक पंचायती राज अधिकारी थे। सभी चार टीओटी कार्यक्रमों के प्रतिभागियों में एमओपीआर-आरजीएसए परियोजना 'सतत प्रशिक्षण और ई-सक्षमता से पीआरआई को सक्षम बनाकर अग्रसर भारत (टीआईएसपीआरआई)' के तहत एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद के प्रमाणित मास्टर स्रोत व्यक्ति थे।

इन टीओटी कार्यक्रमों का उद्देश्य एसडीजी के लक्ष्यों एवं प्रयोजनों पर प्रतिभागियों को उन्मुख करना और विशेष रूप से COVID-19 संकट के प्रबंधन के लिए, उसी पर उन्हें अपने संबंधित क्षेत्रों में एकीकृत करने में सक्षम करना था। कार्यक्रम ने प्रतिभागियों को एसडीजी के माध्यम से समग्र विकास प्राप्त करने में पंचायतों की भूमिका को समझने के लिए उनकी क्षमताओं को विकसित करने का भी दायित्व सौंपा।

श्रृंखला का पहला कार्यक्रम पंचायती राज विभाग, उत्तराखंड के सहयोग से 1-4, सितंबर, 2020 के दौरान आयोजित किया गया था। कुल 65 प्रतिभागी अर्थात् ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी और पंचायत सचिवों ने कार्यक्रम में भाग लिया। डॉ. प्रत्युष्णा पटनायक, सहायक प्रोफेसर, सीपीआरडीपी एवं एसएसडी, एनआईआरडीपीआर ने कार्यक्रम के उद्देश्यों और प्रयोजन के संक्षिप्त विवरण के साथ टीओटी कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद डॉ. सी. कथिरेसन, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीपीआरडीपी एवं एसएसडी, एनआईआरडीपीआर ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम का उद्घाटन भाषण श्री शिव शंकर प्रसाद, निदेशक, एमओपीआर, भारत सरकार, नई दिल्ली ने दिया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को समझने और विशेष रूप से COVID-19 संकट के प्रबंधन के लिए अपने संबंधित क्षेत्रों में पूरा करने हेतु इस अवसर का सबसे बेहतर रूप में उपयोग करने के लिए अनुरोध किया। मुख्य भाषण श्री एच. सी. सेमवाल, आईएएस, सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखंड द्वारा दिया गया था। उन्होंने COVID-19 संकट के प्रबंधन के लिए पंचायतों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के संस्थानीकरण पर जोर दिया।

श्रृंखला का दूसरा कार्यक्रम एमजीएसआईआरडी एवं पीआर, मध्य प्रदेश के सहयोग से 8-11 सितंबर, 2020 के दौरान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कुल 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया। डॉ. प्रत्युष्णा पटनायक, सहायक प्रोफेसर, सीपीआरडीपी एवं एसएसडी, एनआईआरडीपीआर ने कार्यक्रम के उद्देश्यों और प्रयोजन के संक्षिप्त विवरण के साथ टीओटी कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद डॉ. सी. कथिरेसन, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीपीआरडीपी एवं एसएसडी, एनआईआरडीपीआर ने स्वागत भाषण दिया। स्वागत भाषण के भाग के रूप में, उन्होंने पंचायत स्तर पर समग्र विकास प्राप्त करने के लिए सतत विकास लक्ष्यों के महत्व पर चर्चा की। स्वागत भाषण के बाद श्री संजय कुमार सराफ, निदेशक, एमजीएसआईआरडी एवं पीआर, मध्य प्रदेश द्वारा मुख्य भाषण दिया गया। उन्होंने कहा कि COVID-19 अवधि के दौरान, पंचायतों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, यानी पंचायतों को अपने डेटाबेस पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और पंचायत स्तर पर प्रवासन को रोका जाना चाहिए। ग्राम पंचायत को मुख्य रूप से सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भागीदारी, पारदर्शिता और समावेशी विकास सुनिश्चित करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा।

श्रृंखला का तीसरा कार्यक्रम 15-18 सितंबर, 2020 के दौरान एसआईआरडीपीआर, पूर्वोत्तर भारत के समन्वय में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में कुल 76 प्रतिभागियों ने भाग लिया। डॉ. प्रत्युष्णा पटनायक, सहायक प्रोफेसर, सीपीआरडीपी एवं एसएसडी, एनआईआरडीपीआर ने कार्यक्रम के उद्देश्यों और प्रयोजन के संक्षिप्त विवरण के साथ टीओटी कार्यक्रम की शुरुआत की। डॉ. सी. कथिरेसन, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष,

सीपीआरडीपी एवं एसएसडी, एनआईआरडीपीआर ने अपने स्वागत भाषण में, पंचायत स्तर पर समग्र विकास को प्राप्त करने के लिए सतत विकास लक्ष्यों के महत्व और पंचायतें अपने लोगों की बेहतरी की दिशा में कैसे काम कर सकती हैं इस पर चर्चा की। श्री राजेन्द्र कुमार नूतिया, निदेशक और अपर सचिव, पंचायत, त्रिपुरा सरकार ने मुख्य भाषण दिया। अपने भाषण में, उन्होंने एसडीजी को जीपीडीपी की प्रक्रिया में एकीकृत करने के तरीकों पर विस्तार से बात की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उन लक्ष्यों को वास्तविकता में साकार करने में पंचायतों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है।

श्रृंखला का चौथा कार्यक्रम 22-25 सितंबर, 2020 के दौरान यशदा, महाराष्ट्र के समन्वय से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में कुल 71 प्रतिभागियों ने भाग लिया। डॉ. प्रत्युष्णा पटनायक, सहायक प्रोफेसर, सीपीआरडीपी एवं एसएसडी, एनआईआरडीपीआर ने कार्यक्रम के उद्देश्यों और प्रयोजन के संक्षिप्त विवरण के साथ टीओटी कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद डॉ. सी. कथिरेसन, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीपीआरडीपी एवं एसएसडी, एनआईआरडीपीआर ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने पंचायत स्तर पर समग्र विकास प्राप्त करने के लिए सतत विकास लक्ष्यों के महत्व पर चर्चा की और 2 अक्तूबर, 2020 - 31 जनवरी, 2021 के दौरान निर्धारित जन योजना अभियान पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने जोर देकर कहा कि जीपीडीपी की तैयारी में प्रत्येक प्रतिभागी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जीपीडीपी की प्रभावी योजना से ही सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। कार्यक्रम का मुख्य भाषण एसआईआरडी, यशदा, पुणे के निदेशक श्री प्रमोद पवार ने दिया। उन्होंने प्रत्येक सतत विकास लक्ष्य और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में पंचायतों की भूमिका पर भी संक्षिप्त में चर्चा की।

चार दिवसीय टीओटी कार्यक्रम में, अधिकांश लक्ष्य अपने-अपने संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा शामिल किए गए थे। टीओटी कार्यक्रमों के सत्रों का विवरण इस प्रकार है:

कार्यक्रम के पहले सत्र में, लक्ष्य 17- विकेंद्रीकृत योजना में एसडीजी के एकीकरण पर चर्चा की गई। सत्र का संचालन तीसरी सरकार अभियान के संस्थापक डॉ. सी. एस. प्राण द्वारा किया गया। उन्होंने जोर दिया कि ग्राम स्वराज का लक्ष्य केवल पंचायतों के विकास से ही प्राप्त किया जा सकता है और उन्होंने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि ग्राम स्तर पर किसी भी प्रकार की योजना तैयार करने के लिए ग्राम पंचायत को केंद्र बिंदु होना चाहिए। समुदाय की जरूरतों को जानने के लिए लोगों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। एसडीजी को विशेष रूप से जीपीडीपी की योजना बनाने में कैसे एकीकृत किया जा सकता है इससे संबंधित कई बातों को स्पष्ट किया।

कार्यक्रम के दूसरे सत्र का संचालन डॉ. रामप्रसाद वी. पोले, संकाय, यशदा, पुणे ने किया। उन्होंने लक्ष्य 4 - सभी को समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में पंचायतों के लिए लक्ष्य निर्धारित करना पर सत्र का संचालन किया। सत्र में, उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक सभी पंचायतों को 100 प्रतिशत साक्षरता प्राप्त होने की उम्मीद है। इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा को आजीविका से जोड़ा जाए, उन्होंने यह भी बताया कि पंचायतें किस प्रकार अनिवार्य भूमिका निभा सकती हैं।

तीसरा सत्र लक्ष्य 2 – भूख से संघर्ष और कुपोषण पर था। पंचायतों की भूमिका पर चर्चा हुई। सत्र का आयोजन श्रीमती रिचा चौधरी, परियोजना निदेशक, एएफसी इंडिया लिमिटेड, झारखंड ने किया। उन्होंने बताया कि भूख और कुपोषण एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और ग्रामीण स्तर पर पंचायत ही एकमात्र संस्था है जो इस समस्या से निपट सकती है। उन्होंने ध्यानपूर्वक समझाया कि पंचायत भूख और कुपोषण को दूर करने के लिए काम कर रही संस्थाओं को आगे बढ़ा सकती है।

चौथा सत्र लक्ष्य 5 पर था - लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण। इस सत्र का संचालन डॉ. प्रत्युष्णा पटनायक, सहायक प्रोफेसर, सीपीआरडीपी एवं एसएसडी, एनआईआरडीपीआर ने किया। लैंगिक असमानता अभी भी हमारे समाज में एक स्थायी समस्या है और कैसे पंचायत समाज में लैंगिक समानता की खाई को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है इस बारे में उन्होंने बात की।

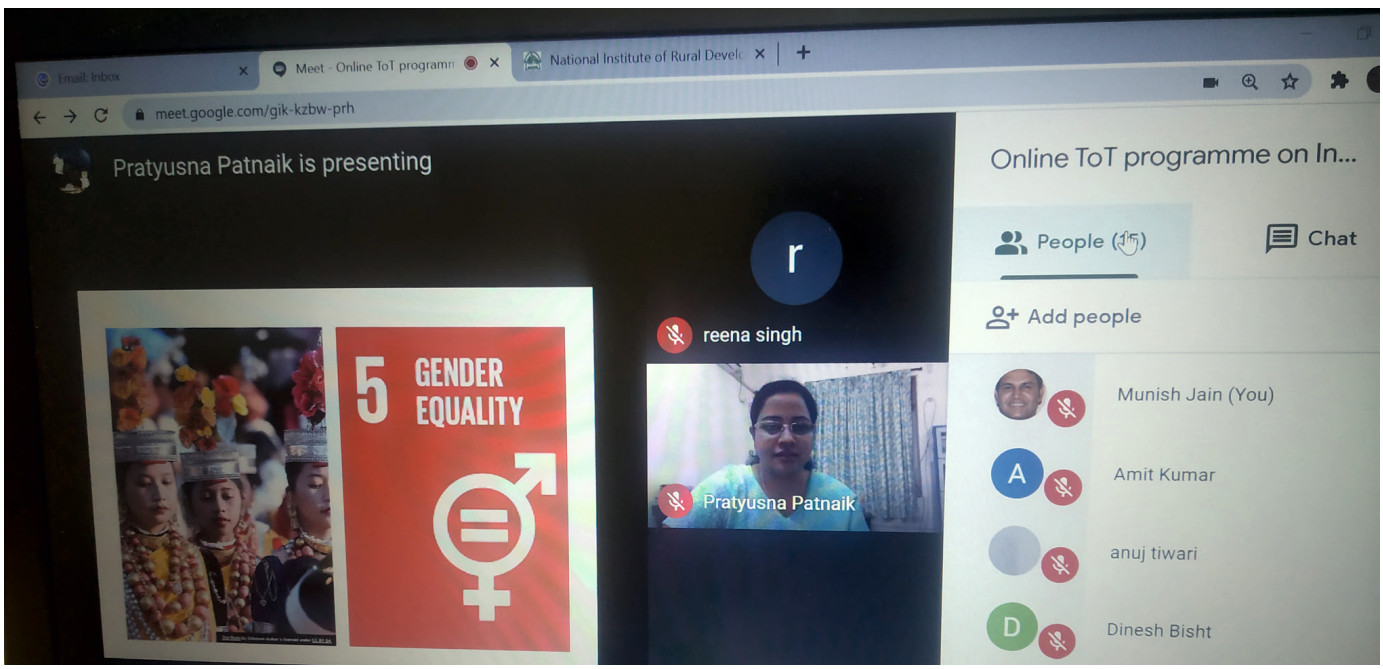

प्रशिक्षण सत्र के दौरान प्रस्तुत एक स्लाइड जो महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का प्रदर्शन कर रही है

प्रतिभागी शिक्षण अभ्यास पर सीपीआरडी एवं एसएसडी द्वारा ऑनलाईन पुनश्चर्या प्रशिक्षण का आयोजन

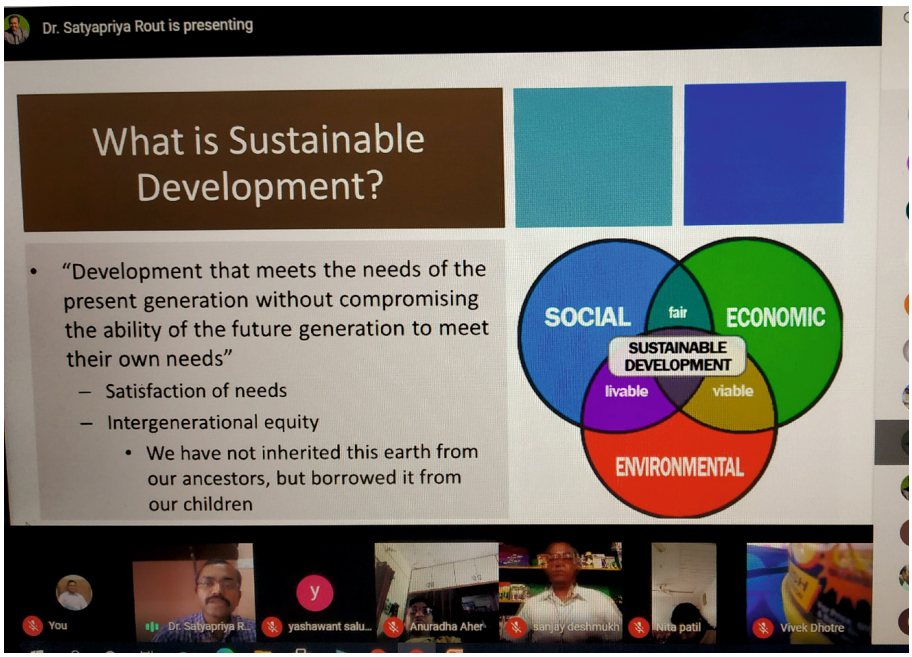

पांचवें सत्र में, लक्ष्य 6 - सभी के लिए पानी और स्वच्छता के प्रबंधन में पंचायतों की भूमिका पर चर्चा की गई। इस विषय पर एनआईआरडीपीआर के सहायक प्रोफेसर डॉ. राजेश कुमार सिन्हा और हैदराबाद विश्वविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सत्यप्रिया राउत ने चर्चा की। सत्र में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और ग्राम स्तर पर जल परिदृश्य पर चर्चा की गई। पानी और स्वच्छता से संबंधित मुद्दों के प्रबंधन में पंचायतों की भूमिका पर भी चर्चा की गई।

व्याख्यान को समृद्ध करने के लिए प्रतिभागियों के साथ कतिपय मामला अध्ययनों को साझा किया गया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पंचायत लोकतंत्र का मूल स्तर होने के नाते प्रभावी रूप से लोगों को सेवाएं दे सकती है।

छठे सत्र में, लक्ष्य 1 - गरीबी को उसके सभी रूपों में समाप्त करना: गरीबी मुक्त पंचायत की दिशा में पहल पर चर्चा की गई। डॉ. पार्थ प्रतिम साहू, एसोसिएट प्रोफेसर, एनआईआरडीपीआर और श्री रवींद्र माने, सरपंच, मान्याचिवड़ी, सातारा सत्र के स्रोत व्यक्ति थे। सत्र के भाग के रूप में गरीबी मुक्त पंचायतों के विकास में पंचायतों के संसाधनों और भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई।

सातवें सत्र में, लक्ष्य 7 - स्थायी ऊर्जा के लिए योजना: पंचायतों की भूमिका पर संवाद का आयोजन किया गया। डॉ. सोनल मोबार रॉय, सहायक प्रोफेसर, एनआईआरडीपीआर ने सत्र की अध्यक्षता की। सत्र के भाग के रूप में, उन्होंने पंचायत स्तर पर उपलब्ध स्थायी ऊर्जा के नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय स्रोतों के बारे में बात की। इस सत्र के दौरान नए स्थायी ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण और निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों की भूमिका को भी समझाया गया।

आठवें सत्र में, लक्ष्य 13 - जलवायु व्यवहार्यता और आपदा प्रबंधन के लिए योजना: पंचायतों की भूमिका पर चर्चा की गई। सत्र का संचालन डॉ. सुजीत कुमार मिश्रा, प्रोफेसर, सामाजिक विकास परिषद, हैदराबाद और श्री सुरेंद्र प्रजापति, संकाय सदस्य, एमजीएसआईआरडी एवं पीआर, मध्य प्रदेश ने किया। सत्र के भाग के रूप में, आज-कल की घटनाओं पर बात करते हुए आपदा के प्रभाव और जलवायु परिवर्तन के कारणों को विस्तार से बताया गया। जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के संचालन के लिए ग्राम पंचायतों के कार्य बिंदुओं पर भी विचार-विमर्श किया गया।

नौवें सत्र में, लक्ष्य 15 - स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रभावी योजना में पंचायतों की भूमिका पर चर्चा की गई। श्री मोहम्मद तकीउद्दीन, सलाहकार, एनआईआरडीपीआर ने इस विषय पर बात की। सत्र में जैव विविधता (बीडी) और इसकी सेवाओं, जैव विविधता के खतरे, जैव विविधता अधिनियम, 2002 और जैव विविधता के संरक्षण के लिए पंचायत क्या कर सकती है, इसके बारे में विस्तार से बताया गया।

दसवें सत्र में, लक्ष्य 3: सभी के लिए स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में पंचायतों की भूमिका पर चर्चा की गई। डॉ. लखन सिंह, सहायक प्रोफेसर, एनआईआरडीपीआर और श्री भास्कर पेरे पाटिल, सरपंच, पाटोदा इस सत्र के लिए स्रोत व्यक्ति थे। इस सत्र में विभिन्न योजनाओं को शामिल किया गया जैसे ग्राम पंचायतों द्वारा उसके सभी निवासियों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए की गई कार्यवाही, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य की समस्याओं के बारे में ग्राम पंचायतों द्वारा अपनाई गई उत्कृष्ट पद्धतियां आदि।

ग्यारहवें सत्र में, लक्ष्य 8 और 10 - स्थानीय आर्थिक विकास और पंचायतों में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए योजना पर चर्चा की गई। श्री मनोज पंत, अपर सीईओ, सार्वजनिक नीति एवं सुशासन केंद्र, उत्तराखंड और डॉ. संजय कुमार राजपूत, वरिष्ठ संकाय सदस्य, एमजीएसआईआरडी एवं पीआर, मध्य प्रदेश ने इस विषय पर बात की। सत्र ने सामाजिक न्याय और स्थानीय आर्थिक विकास सुनिश्चित करने में पंचायतों की भूमिका पर प्रकाश डाला। संसाधन व्यक्तियों की राय थी कि यदि लोगों से संबंधित मुद्दों पर ग्राम सभा में चर्चा की जाएगी तो योजना बेहतर होगी।

कार्यक्रम के समापन सत्र में, संबंधित पंचायती राज विभाग और एसआईआरडी ने ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिए एनआईआरडीपीआर को धन्यवाद दिया। सभी कार्यक्रमों के प्रतिभागियों ने आश्वासन दिया कि इस चार दिवसीय टीओटी कार्यक्रम की शिक्षा से उन्हें क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने में वास्तव में मदद मिलेगी। प्रतिभागियों को ऑनलाइन सहभागी प्रमाणपत्र प्रदान करने के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ।

ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन डॉ. प्रत्युष्णा पटनायक, सहायक प्रोफेसर, सीपीआरडीपी एवं एसएसडी और कार्यक्रम का समन्वयन श्री मुनीश जैन और डॉ. दंबरुधर गरदा, परियोजना प्रशिक्षण प्रबंधक, एनआईआरडीपीआर ने किया।

रुर्बन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर

स्पिटुक क्लस्टर, लेह में अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का रुर्बन मिशन एक अनूठा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों के समूहों में बुनियादी ढाँचे और आजीविका के अवसरों को विकसित करना है जो आर्थिक विकास क्षमता प्रदर्शित करता है। इसे केंद्र और विभिन्न राज्य सरकार के विभागों से योजनाओं को परिवर्तित करके निष्पादित किया जा रहा है, जो कि रूर्बन मिशन द्वारा प्रदान की गई महत्वपूर्ण अंतर निधि के साथ मिलकर किया गया है। रुर्बन समूहों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आईसीएपी (एकीकृत क्लस्टर कार्य योजना) के कई घटकों में से एक है।

भारत की कुछ ग्राम पंचायतें ठोस अपशिष्ट का सफलतापूर्वक प्रबंधन करती हैं। हालांकि यदि कोई व्यक्ति उदाहरणों को प्राप्त करने के लिए भेंट देना चाहता हो तो ठोस अपशिष्ट का प्रबंध करने वाले ग्राम पंचायतों का समूह दुर्लभ है। रूर्बन मिशन के प्रभारी राज्य और जिला स्तर के सरकारी अधिकारियों की सुविधा के लिए, 'ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण' पर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान ने तीन-दिवसीय (15-17 सितंबर, 2020) ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान, गारबोलॉजिस्ट तथा विकास पेशेवर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में शामिल थे और उन्होंने इस विषय पर अपनी जानकारी साझा की। आयोजित किए गए विभिन्न सत्रों से जो मुख्य विषय उभरकर सामने आए वे निम्नानुसार हैं:

- जब कभी रुर्बन क्लस्टर आधारित अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयाँ स्थापित की जाती हैं, वहाँ शामिल टीम विचार कर सकती है (i) अभियान के भाग के रूप में सभी एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना, (ii) स्थानीय स्कूलों, सार्वजनिक कार्यों, प्रशिक्षण / आईईसी अभियानों, स्थानीय विवाहों, खेल आयोजनों, वार्षिक मंदिर समारोहों और अन्य समारोहों में 'ग्रीन प्रोटोकॉल' को लागू करना। ग्राम पंचायतों द्वारा उपयोग के लिए ग्रीन प्रोटोकॉल पर वन-पेजर तैयार किया जा सकता है।
- हर रुर्बन क्लस्टर में ग्राम पंचायतों की क्लस्टर विकास प्रबंधन इकाई (सीडीएमयू) होती है, जो क्लस्टर में सभी ग्राम पंचायतों की प्रतिनिधि संस्था है। जब तक सीडीएमयू सदस्य निर्णय नहीं लेते, तब तक उसी सीडीएमयू क्लस्टर में अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था का विवरण देने के लिए आपस में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं; अन्यथा ऐसे नए निकाय ऐसे क्लस्टर अपशिष्ट न्यूनीकरण एवं प्रबंधन समिति (वीडब्ल्युएससी) इस तरह की भूमिका को ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार तैयार किया गया समझौता ज्ञापन, प्रत्येक भाग लेने वाले जीपी, परिवारों की भूमिका, सफाई कर्मचारियों की भूमिका तथा अन्य प्रावधानों की शक्तियों और कार्यों को स्पष्ट करेगा। यह समझौता ज्ञापन दस्तावेज अपशिष्ट प्रबंधन श्रृंखला / प्रणाली के किसी भी पहलू पर विवाद, गलतफहमी या गैर-भागीदारी, असहयोग, गैर-अनुपालन के मामले में स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए संदर्भ बिंदु होगा।
- कचरा प्रबंधन करने वाले क्लस्टर में जीपी का हमेशा यह मतलब नहीं होता है कि ग्राम पंचायतें सीधे कचरे का प्रबंधन करते हैं। एकत्रित ग्राम पंचायतें या सीडीएमएयू किसी बाहरी एजेंसी या प्रशिक्षित एसएचजी को अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं का अनुबंध करने का निर्णय ले सकते हैं। यह बाहरी एजेंसी एक पेशेवर गैर सरकारी संगठन, या एक निजी अपशिष्ट प्रबंधन एजेंसी, या एक एजेंसी जो सीडीएमयू या एकत्रित ग्राम पंचायतें हो सकती है जो भुगतान पर इस उद्देश्य के लिए संलग्न करने का निर्णय ले सकते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन सेवा की निबंधन एवं शर्तों और सेवाओं के भुगतान आदि हेतु संविदा / अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए स्टांप पेपर में स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। यह शामिल दोनों पक्षों के लिए समान रूप से बाध्यकारी होगा।

Solid Waste Management

छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में अपशिष्ट प्रबंधन करने वाले एस.एच.जी.

- यह संभव है कि कुछ ग्राम पंचायतों (जीपी) में कुछ क्लस्टर समूहों ने पहले ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित कर ली हो। क्लस्टर-दृष्टिकोण को लागू करने का हमारा प्रयास इसे एक स्थिति में लाना है न कि मौजूदा व्यवस्था को बिगाड़ना है, यदि यह वैचारिक रूप से सही लग रहा हो और व्यावहारिक रूप से व्यवहार्य/काम कर रहा हो। जब तक कि इसमें वैज्ञानिकता की कमी या अन्य कारणों से सुधार की आवश्यकता न हो, हमें मौजूदा प्रणाली के साथ संरेखण में अपने दृष्टिकोण को आकार देने की आवश्यकता है।
- जहां तक संभव हो, अपशिष्ट प्रबंधन समूहों के ग्राम पंचायतों को 'आवास स्थान में खाद बनाने' के लिए परिवारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अपेक्षित अभियान चलाने के लिए, प्रशिक्षण प्रदान करें और कुछ घरों में प्रदर्शित करें और दिखाएं। यदि निर्णय हर घर से अपशिष्ट का संग्रहण करना हो, तो यह केवल सूखे और प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण करने में सुगम है। यदि केवल सूखे और प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण हर घर से किया जाता है, तो संग्रहण की आवृत्ति वैकल्पिक दिन या सप्ताह में दो बार हो सकती है। यह अनावश्यक संग्रहण आवृत्ति की संख्या और श्रम को कम करने मदद कर सकता है। यदि व्यवस्था घरों से गीले कचरे के संग्रह के लिए है, तो इसे आवश्यक रूप से हर दिन एकत्र किया जाना चाहिए, और हर दिन खाद या बायोगैस में बदलने के लिए उपचारित / संसाधित किया जाना चाहिए।
- हर घर से अलग-अलग अपशिष्ट के संग्रहण की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत ले सकती है। कुछ खाद तकनीकों के माध्यम से गीले कचरे का प्रसंस्करण क्लस्टर को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई (सीपीयू) में किया जा सकता है। संबंधित ग्राम पंचायतों को (हर घर से संगृहीत) अलग-अलग अपशिष्ट को सीपीयू तक ले जाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो एक या दो स्थानांतरण ठिकानों को स्थापित किया जा सकता है। सीपीयू में, वजन द्वारा अलग-अलग अपशिष्ट को प्राप्त करके, और उचित उपचार पद्धति का उपयोग करके उन्हें संसाधित करना शामिल सभी जीपी के लिए सहमत होने वाली व्यवस्था के अनुसार हो सकता है।
- चूंकि कई जीपी से संचालित किये जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा को संभालना स्पष्ट रूप से अधिक होगा, इसलिए प्रसंस्करण सुविधाओं को इसके अनुसार स्थापित करना होगा। इससे आर्थिक व्यवहार्यता बढ़ सकती है। यह संभव है कि सभी जीपी से प्राप्त गीले अपशिष्ट की गुणवत्ता समान गुणवत्ता की न हो। इसलिए, गीले अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए विंड्रो कम्पोस्टिंग और वर्मीकम्पोस्टिंग दोनों स्थापित किए जा सकते हैं। सूखे अपशिष्ट (प्लास्टिक, बोतलें, कार्ड बोर्ड, टेट्रापैक, मल्टीलेयर्ड पैकेजिंग, आदि) को वर्गीकृत किया जा सकता है और स्क्रैप डीलर या रिसाइक्लर या एसबीएम-जी के तहत प्रत्येक ब्लॉक में स्थापित किए जाने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई को भेजा जा सकता है। सीडीएमयू को स्क्रैप डीलर / रिसाइकलर्स (और प्रत्येक ब्लॉक / जिले में ईपीआर एजेंसियों की भी) सूची एकत्र करनी चाहिए, ताकि यह देखा जा सके कि अपशिष्ट प्लास्टिक, बोतलें, और अन्य पुनर्चक्रण योग्य वस्तुएं समय-समय पर बेची जाती हैं। अन्यथा, वे सामग्री पुनर्प्राप्ति केंद्र (या सीपीयू में भंडारण स्थानों पर) में जमा हो जाते हैं और जगह पर अपशिष्ट का ढेर लगा रहता है तथा स्वच्छता कार्यकर्ताओं की परेशानी बढ़ जाती है।
- अपशिष्ट को संपत्ति में परिवर्तित करने का विचार आकर्षक है। लेकिन सभी ने कहा और किया, सफल एसडब्ल्युएम इकाइयों के मामला अध्ययन के साथ-साथ अनुभव बताते हैं कि एसडब्ल्युएम इकाइयों के संचालन और रखरखाव के खर्चों को पूरा करने के लिए संसाधन की वसूली / नकद में अपशिष्ट को परिवर्तित करना अपर्याप्त है। इसलिए, प्रत्येक जीपी को स्वच्छता कर्मचारियों के वेतन (या संचालन एवं रखरखाव खर्चों) को पूरा करने के उद्देश्य से 15 वें वित्त आयोग के निधियों के खंड के अलावा उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह के माध्यम से निजी स्रोत राजस्व उत्पन्न करना है। यदि सीडीएमयू किसी को नियुक्त करता है तो सेवा प्रदाताओं द्वारा दी गई सेवाओं का भुगतान करके एसडब्ल्युएम इकाई को लगातार चलाने में विशेषतया आर्थिक रूप से सक्षम होने के लिए यह एक व्यावहारिक दृष्टिकोण दिखता है। अन्यथा, स्वच्छता कर्मचारियों, वाहन रखरखाव आदि के वेतन को पूरा करने में निधियों की आवश्यकता होती है, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है यदि आय का स्रोत 'एकमात्र संसाधन वसूली' माना जाता है।'
- आधारभूत संरचना और मशीनरी में निवेश कम रखना उचित है। अपशिष्ट प्रबंधन को सामाजिक-मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में अधिक देखा जाना चाहिए। इसे सुव्यवस्थित व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) तकनीकों के माध्यम से अधिक हल करने की आवश्यकता है। मशीनों और प्रौद्योगिकियों को इसके सहायक के रूप में देखा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया में शामिल कठिन परिश्रम को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी को सहायता के रूप में देखा जाना चाहिए। दर असल प्रौद्योगिकी अपशिष्ट की समस्या का समाधान नहीं करती है। इसलिए, हमारा उद्देश्य अपशिष्ट की बढ़ती कमी की ओर होना चाहिए, और न कि ये होना चाहिए 'आप अपशिष्ट को फैलाते रहिये और हम यहाँ उसकी सफाई के लिए है'।

डॉ. आर. रमेश
एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (प्रभारी), सीआरआई
एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद

एसएयू छत्तीसगढ़ के स्रोत व्यक्तियों के लिए पीएमएवाई-जी और एनएसएपी की सामाजिक लेखापरीक्षा पर ऑनलाइन प्रशिक्षण

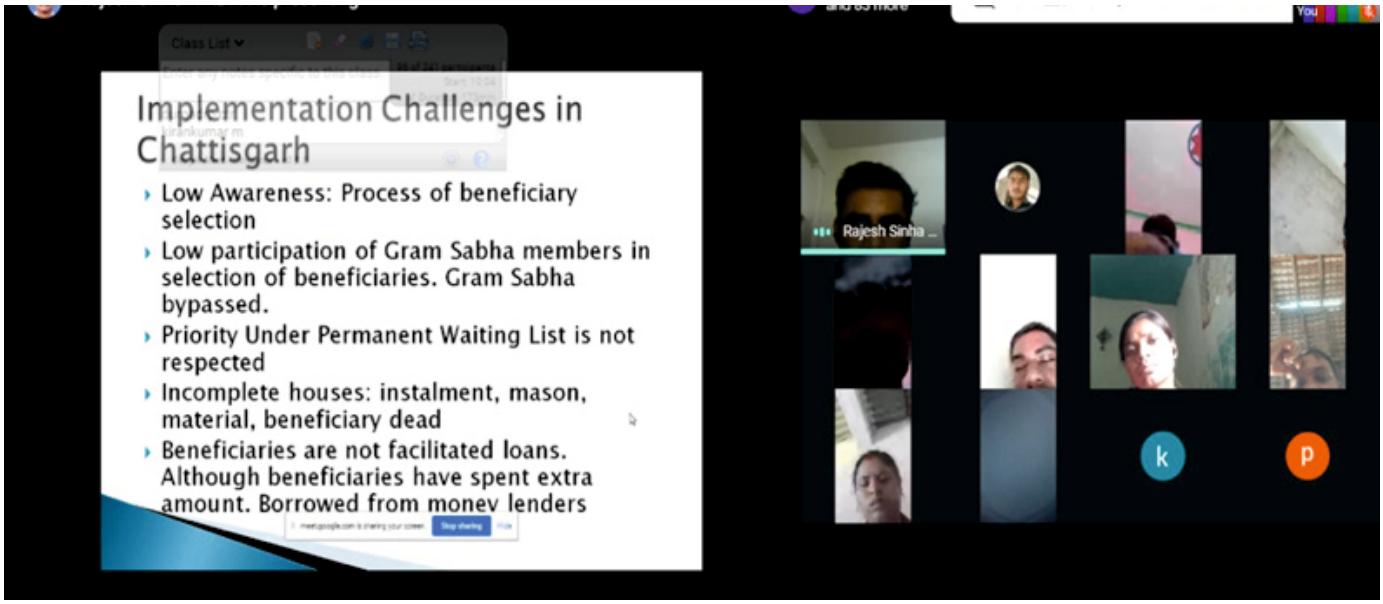

एसएयू छत्तीसगढ़ के स्रोत व्यक्तियों के लिए पीएमएवाई-जी और एनएसएपी की सामाजिक लेखापरीक्षा पर प्रस्तुति की स्लाइड

सामाजिक लेखापरीक्षा केंद्र (सीएसए), एनआईआरडीपीआर ने 14-28 सितंबर, 2020 के दौरान छत्तीसगढ़ के सामाजिक लेखापरीक्षा स्रोत व्यक्तियों की दूसरे बैच के लिए 'एनएसएपी और पीएमएवाई-जी की सामाजिक लेखापरीक्षा' पर गूगल मीट प्लेटफार्म का उपयोग करके पांच-दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। छत्तीसगढ़ की सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई (एसएयू) द्वारा नामांकित कुल 95 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में सफलतापूर्वक भाग लिया।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने नवंबर, 2019 में पीएमएवाई-जी और एनएसएपी की सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। सामाजिक लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों के संचालन के लिए, एसएयू स्रोत व्यक्तियों का क्षमता निर्माण एनआईआरडीपीआर द्वारा किया जाना है। इसलिए, सीएसए, एनआईआरडीपीआर ने सामाजिक लेखापरीक्षा स्रोत व्यक्तियों के लिए 'एनएसएपी और पीएमएवाई-जी की सामाजिक लेखापरीक्षा' पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की योजना बनाई है।

पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को 20 सत्रों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक तिथि के अंत में, प्रतिभागियों को गूगल फॉर्म के माध्यम से दस सवालों के साथ एक प्रश्नोत्तरी दी गई थी। हिंदी और अंग्रेजी में शिक्षण सामग्री, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) और प्रश्नोत्तरी प्रश्न की ई-प्रतियां प्रदान की गई।

कार्यक्रम की शुरुआत परिचय विवरण के साथ हुई जिससे प्रतिभागियों को खुद को अभिव्यक्त करने और प्रशिक्षण के माहौल से परिचित होने में आसानी हो। पांच दिवसीय अवधि में प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया था:

- सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया और मूल स्तर की समस्याएं - प्रतिभागियों के अनुभव
- सामाजिक लेखापरीक्षा की अवधारणा
- सामाजिक लेखापरीक्षा में हाल की गतिविधियां
- एनएसएपी दिशानिर्देशों का परिचय
- राज्य की योजनाएँ और एनएसएपी की कार्यान्वयन चुनौतियाँ
- एनएसएपी सामाजिक लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों का परिचय
- एनएसएपी कार्यक्रम की प्रमुख लेखापरीक्षा का अनुभव
- पीएमएवाई-जी दिशानिर्देशों का परिचय
- पीएमएवाई-जी की कार्यान्वयन चुनौतियां
- पीएमएवाई-जी सामाजिक लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों का परिचय
- पीएमएवाई-जी के टीओटी के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा का अनुभव

सभी सत्र ओबीएस स्टूडियो सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके वीडियो रिकॉर्ड किए गए थे। सत्र के दौरान और बाद में प्रतिभागियों एवं प्रशिक्षक की बातचीत और हर सुबह अनिवार्य आवृत्ति ने कार्यक्रम को अत्यधिक सहभागी बना दिया। प्रशिक्षण सत्र पूरा होने के बाद, कार्यक्रम मूल्यांकन किया गया था। इस मूल्यांकन के दौरान, प्रतिभागियों ने पाठ्यक्रम विषय, व्यावहारिक अभिविन्यास और पाठ्यक्रम सामग्री के साथ-साथ भविष्य में उनके दिन-प्रतिदिन के कार्यों में इन शिक्षाओं और कौशल के व्यावहारिक अनुप्रयोग पर उनकी प्रतिक्रिया दी। कुछ प्रतिभागियों ने कहा कि ऑनलाइन मंच बेहतर और अधिक सुविधाजनक है। हालांकि, उन्होंने बताया कि कुछ स्थानों में खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी, अधिक डेटा उपयोग, फोन को बैटरी तेजी से ख़त्म होने के कारण लगातार चार्जिंग की आवश्यकता आदि जैसे मुद्दे अवरोध पैदा कर रहे थे। उस अनौपचारिक प्रतिक्रिया सत्र के बाद, प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल के माध्यम से औपचारिक प्रतिक्रिया प्राप्त की गई।

श्री मोहम्मद आरिफ, सलाहकार और श्री शशिधर, प्रशिक्षण प्रबंधक की सहायता से डॉ. राजेश कुमार सिन्हा, सहायक प्रोफेसर और डॉ. सी. धीरजा, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सामाजिक लेखापरीक्षा केंद्र, एनआईआरडीपीआर ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का संयोजन किया।

'COVID-19' पर विशेषांक के लिए ग्रामीण विकास पत्रिका ने लेखों की मांग की

प्रकाशन की निर्धारित तिथि: **मार्च 2021**

प्रिय सभी,

ग्रामीण विकास पत्रिका (जेआरडी) अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की एक त्रैमासिक पत्रिका है, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जेआरडी हेतु लेखों की स्वीकृति के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मानदंड आमतौर पर ज्ञान, स्पष्ट और तार्किक विश्लेषण, बेहतर प्रस्तुति और शोध लेख की उत्तम पद्धति में योगदान करते हैं।

जेआरडी में प्रकाशन के लिए प्रस्तुत हर लेख का मूल्यांकन चरणबद्ध तरीके से किया जाता है और शब्द सीमा मानदंड तथा समानता की जाँच को पूरा करने के बाद ही किसी विषय विशेषज्ञ को पूर्व समीक्षा के लिए भेजा जाता है। आंतरिक संपादकीय बोर्ड के सदस्य भी विषय की संबद्धता और गुणवत्ता की जांच करने हेतु इन पत्रों के लिए इसी पद्धति का अनुसरण करते हैं और पूर्व समीक्षा के लिए इसे उपयुक्त बनाने में कार्यप्रणाली की सुदृढ़ता का पालन करते हैं।

ग्रामीण विकास पत्रिका COVID-19 पर एक विशेष अंक निकाल रही है। इस संबंध में, निम्नलिखित विषयों पर लेख प्रस्तुत किए जा सकते हैं:

1. COVID-19 और कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों में आजीविका गतिशीलता
2. COVID-19 की अनुकूलन क्षमता: व्यवस्था और शीर्ष तंत्र
3. COVID-19 और प्रवासी श्रमिकों की स्थिति (कुशल और अकुशल
4. कृषि आपूर्ति श्रृंखला और विपणन पर कोरोनावायरस महामारी का प्रभाव
5. मौजूदा योजनाएँ (एमजीनरेगा, खाद्य सुरक्षा, आदि) कैसे आजीविका सहायता प्रदान करने में मदद करती हैं?
6. COVID -19 और एमएसएमई के लिए माइक्रोफाइनेंस
7. COVID-19 और सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं ग्रामीण आधारभूत संरचना
8. COVID-19 और स्थानीय सरकारें / पंचायतें
9. COVID-19 और कृषि
10. COVID-19 और संचार

लेखकों को **www.nirdprojms.in** पर घोषणा के साथ पूर्ण लेखों को प्रस्तुत करना होगा। लेखों को जमा करने से पहले, कृपया www.nirdprojms.in पर या पत्रिका के अंतिम पृष्ठ पर **'लेखकों के लिए अनुदेश'** को देखें।

जेआरडी को प्रस्तुत सभी लेख संबंधित विषय विशेषज्ञों द्वारा पूर्व मूल्यांकन के अधीन हैं। लेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **30 नवंबर, 2020 है**।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030

टेलिफोन : (040)-24008473, फैक्स: (040)-24008473
ई मेल : cdc.nird@gov.in, वेबसाईट: www.nirdpr.org.in

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका

श्रीमती अल्का उपाध्याय, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर
श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर

सहायक संपादक: कृष्णा राज के.एस.
विक्टर पॉल
जी. साई रवि किशोर राजा

एनआईआरडी एवं पीआर
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030 की ओर से
डॉ. आकाँक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीडीसी द्वारा प्रकाशित

हिन्दी संपादन:
अनिता पांडे
हिन्दी अनुवाद:
ई. रमेश, वी. अन्नपूर्णा, रामकृष्णा रेड्डी